छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | **पंचम सत्र**

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025
(फाल्गुन 12, शक सम्वत् 1946)

[अंक 05]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। आज प्रश्नकाल में पहला प्रश्न माननीय मोहले जी का है। रामविचार जी, आप थोड़ा संभल कर जवाब दीजियेगा। मोहले जी पहली बॉल में गुगली करेंगे। (हंसी)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मोहले जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इनको सम्मान देता है। आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन आपके अनुभव का सबसे अधिक लाभ लेने का लगातार प्रयास आदरणीय अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं। आप इनपर अपनी कृपा बरसाते रहिये और इनको अपना कुछ न कुछ ज्ञान देते रहिये। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानपूर्वक ही प्रश्न करूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला ओ भुलवारत हे। लइका हे करके ठगत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने इस सदन में सूचना दी है कि मैंने पटा लिया है। लेकिन वह क्या पटा लिये हैं और कैसे पटा लिये हैं, यह नहीं बता रहे हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला ओ लइका कस ठगत हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं। इनके नाम के आगे ही मोहले है। यह सबके मन को मोहने वाले हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी।

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खाद एवं बीज का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 595) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 से मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31.01.2025 तक खरीफ एवं रबी फसल हेतु किस-किस प्रकार के कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरूद्ध केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया, राशि बतावें? **(ख)** प्रश्नांक अवधि में मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के बीज एवं किस-किस प्रकार की रासायनिक खाद की मांग के विरुध्द कितनी मात्रा में खाद एवं बीज का प्रदाय किया गया ? क्या राज्य शासन द्वारा किन्हीं अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी की गई? यदि हां तो कितनी मात्रा में कितनी राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक मुंगेली विधान सभा से संबद्ध विकासखण्डों मुंगेली एवं पथरिया हेतु आंकलित उर्वरक मांग का विकासखण्डवार, वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ[1] अनुसार है।** केन्द्र सरकार से उर्वरक आपूर्ति हेतु जिलेवार मांग प्रेषित नहीं की जाती, अपितु संपूर्ण राज्य की आवश्यकता हेतु मांग केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों में से मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्डों में की गई आपूर्ति का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है ।** इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। अतः शेष जानकारी निरंक है। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों हेतु बीज की मांग केन्द्र सरकार से नहीं की गई थी। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों एवं बीज की आंकलित मांग के विरूद्ध भण्डारित एवं वितरित मात्रा का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** विभाग द्वारा जिला मुंगेली विधान सभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्डों में किसी अन्य माध्यम/एजेंसी से रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से खाद वितरण के संबंध में प्रश्न पूछा था तो उसमें मंत्री जी ने मुझे जानकारी दी है। कृपया माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि वर्ष 2023-2024-2025 तक प्राइवेट सेक्टर में व्यापारियों को कितना-कितना आवंटन दिया गया और क्या उनको निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर आवंटन देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

---

[1] परिशिष्ट ''एक''

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय पुन्नूलाल जी ने खाद एवं बीज के संबंध में जो प्रश्न किया है, इसके बारे में हमने उनको विभाग के उत्तर के अनुसार पूरी डिटेल में जानकारी दी है। जहां तक शिकायत की बात है तो अभी तक हमें इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई शिकायत हो तो आप मुझे दे दीजिए, निश्चित ही मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। प्राइवेट/निजी लोगों ने जो खाद बेची है, चाहे यूरिया हो, डी.ओ.पी. हो या अन्य खाद हो तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको खाद को ज्यादा दर पर बेचने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमें इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछ लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों में से मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्डों में भण्डारण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पहली जानकारी यह चाहता हूं कि जो भण्डारण होता है, क्या वह जो मांग क्रियेट/जनरेट होती है उसके आधार पर होता है? दूसरा, भण्डारण को सिंगल लॉक और डबल लॉक में देने के नियम और निर्देश क्या हैं और उसको विभाग कैसे तय करता है कि सिंगल लॉक में इतना जमा होगा और डबल लॉक में इतना जमा होगा ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पूरे प्रदेश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर विभाग आकलन करता है और उस आकलन के आधार पर भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे प्रदेश की इतनी खाद व बीज की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया आप इसकी आपूर्ति करें। उसके आधार पर भारत सरकार हमारे प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय व चर्चा करने के बाद आवंटन जारी करती है। उस आवंटन के आधार पर संबंधित जिलों में हमारे जो रेक प्वाइंट हैं, उस रेक प्वाइंट से हम डबल लॉक में जमा करते हैं। उसके माध्यम से हम यह तय करते हैं कि कितना-कितना और किस-किस सेक्टर में, जैसे हमारे प्रदेश की जो सहकारी समितियां हैं, उनको और निजी क्षेत्र के सेक्टर के लिए हम आवंटन जारी करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत छोटा सा और बहुत specific प्रश्न पूछा है। अमूमन मांग के आधार पर भण्डारण नहीं होता है। आवंटन के आधार पर भण्डारण होता है। मांग के आधार पर भण्डारण हो, आप उसके लिए क्या करते हैं ? उसके लिए एक लाईन का प्रश्न पूछा

है। जितना आवंटन हुआ, क्या सिंगल लॉक और डबल लॉक में आवंटन करने के लिए नीति है या नहीं है या अपनी मर्जी है ? आप डबल लॉक को ज्यादा दे देंगे और सिंगल लॉक को कम देंगे ? यह प्रदेश का महत्वपूर्ण विषय है कि डबल लॉक, निजी क्षेत्र को ज्यादा खाद देते हैं और जानबूझकर सहकारी क्षेत्र, सिंगल लॉक को कम खाद दिया जाता है। तो आपकी इसके सम्बन्ध में नीति है या नहीं है ? आप आवंटन कैसे करते हैं, किस आधार पर आवंटन तय करते हैं, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेंगे ? इसमें देखवाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है। सोसाइटी में मांग क्रियेट होती है, जिले में जितनी मांग होती है, पहले उस आधार पर उसकी पूर्ति की जाये, उसके बाद डबल लॉक को दिया जाये। यदि उसकी पूर्ति किए बगैर डबल लॉक को देते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि क्या सरकार इसमें स्पष्ट नीति बनायेगी ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राय: अभी तक हमारी जितनी भी सहकारी साख समितियां हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, पहले हम उनको देते हैं। फिर भी जो निजी क्षेत्र के हैं, वहां समय अनुसार समय-समय पर उनको अधिक आवंटन होते रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो समितियां हैं, पहले हमारी समितियों में ही जाये, वैसे भी अभी तक जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। अभी भी जा रहा है। फिर भी जो percentage है, उस percentage में यदि कुछ गत वर्षों का आंकड़ा देखें..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी, इसको बताने के बजाय आप सिर्फ इतना आश्वासन दे दें कि सोसाइटी को पहले खाद देंगे और उसके बाद डबल लॉक निजी क्षेत्र को खाद देंगे, इसके लिए स्पष्ट नीति बनायेंगे। पहले किसानों को प्राथमिकता मिले उसके बाद निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिले। इसके लिए स्पष्ट नीति बनायेंगे, सदन में इतना आश्वासन दे दें, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारा जो आवंटन है, उसके आधार पर हमारी जो समितियां हैं, अपने संस्थाओं को 60 percent पहले देते हैं और जो निजी क्षेत्र है, उनको 40 percent देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय 60 percent, 40 percent का नहीं है। विषय यह है कि सिंगल लॉक में कितनी मांग है ? उस मांग की पूर्ति किए बगैर डबल लॉक को खाद दिया गया है क्या ? यह महत्वपूर्ण विषय है। इसके सम्बन्ध में कोई नीति बनायेंगे ? आप उस मांग को पूरा किए बगैर निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। मैं यह दस्तावेज सदन में रख सकता हूं कि सोसाइटी से ज्यादा,

सिंगल लॉक से ज्यादा डबल लॉक में हर तरह का खाद प्रदान किया गया है और आपके समय में यह हुआ है। मैं यह दस्तावेज विधानसभा में रख सकता हूं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें आप कोई स्पष्ट नीति बना दें, जिससे किसानों को सुविधा होगी, किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विद्‌वान सदस्य जी का सुझाव बहुत अच्छा है। मैं उसका परीक्षण कराकर, आपसे चर्चा करके हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। क्योंकि हम पूरे प्रदेश के किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो किसानों के हित में जो भी करना होगा, आप समस्त विद्‌वानों के सुझाव के आधार पर कार्यवाही करेंगे और सुनिश्चित करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- Thank you.

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त जवाब आ गया है।

श्री पुन्नू लाल मोहिले :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आप अब बीच में फिर से कहां आ गए ? (हंसी) यदि आपको प्रश्न करना था तो आपको बैठना नहीं था।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था। ये additional आ गए। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न नहीं करते हैं और बैठ जाते हैं।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- ये तो खुद खड़े हो गए, ये प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा नहीं हुआ भईया, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रश्न पूछा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- किसी का प्रश्न हाईजैक नहीं करना है। (हंसी) आप प्रश्न कीजिये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्षों से 60:40 के रेशियों के वितरण में अंतर है। तो क्या आप उसको बराबर रेशियो में करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ? इसी में एक और प्रश्न कर देता हूं कि जो प्रमाणित बीज वितरित किया गया, उस वितरण में गुणवत्ताहीन बीज वितरित किया गया, आप उसकी जांच करायेंगे क्या ? वितरित किए हुए चना, गेहूँ बीज अंकुरित भी नहीं हुआ। क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या आप उसकी जांच करायेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह की जहां कहीं भी किसानों को जो बीज उपलब्ध होते हैं, उसमें हमारे विभाग की ओर से बीज निगम के माध्यम से बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। अगर इसमें कहीं पर शिकायत मिलती है तो संबंधित किसान जिला कलेक्टर, एस.डी.एम. या तहसीलदार कार्यालय में शिकायत करते हैं। उस शिकायत के आधार पर विभाग कार्रवाई करती है और हम उसकी जांच भी कराते हैं। आपकी जानकारी में आपके विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी

इस तरह की कोई बात हो तो आप कृपा करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी परीक्षण एवं जांच करा लूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। पड़रभट्ठा से लेकर आसपास के 40 गांवों में सोयाबीन का वितरण हुआ, गेहूँ का वितरण हुआ, चने का वितरण हुआ, वह अंकुरित नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे गुणवत्ताविहीन बीज वितरण करने वाले के ऊपर में आप कार्रवाई करेंगे और आप किसानों को क्या लाभ देंगे?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि माननीय सदस्य जो-जो नाम ले रहे हैं, वह जहां-जहां शिकायत की बात कर रहे हैं, हम उसकी पूरी जांच भी करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच करा देंगे।

श्री रामविचार नेताम :- जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। जरूरत होगी कि उन्हें बीज के बदले बीज देना होगा तो उनको बीज उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, जिन्होंने ऐसा गड़बड़ी किया है, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, पूरी शख्त कार्रवाई की जायेगी, पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री जनक ध्रुव।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का ग्राम पथरिया, जिला-मुंगेली का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोटा प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, अभी लोग खाद के लिए भटक रहे हैं। खासकर लोग डी.ए.पी. खाद के लिए भटक रहे हैं। जगह-जगह से शिकायतें आई हैं कि दुकान में खाद उपलब्ध है, लेकिन सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है। आप जिस बात को उठाये हैं उसको सुनिश्चित करें कि किसानों को वहां पर खाद उपलब्ध हो जायें। यह दिक्कत आ रही है और अभी भी दिक्कत है। आप उसको एक बार दिखवा लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, यह प्रश्न नहीं, सुझाव है। आप देख लीजिएगा।

श्री रामविचार नेताम :- जी।

गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 का क्रियान्वयन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 827) श्री जनक धुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत् ग्राम सभा को गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 में मान्य किया जा रहा हैं? भूमि अर्जन करते समय या भूमि का व्यपवर्तन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं या क्या निर्देश प्रसारित किए गए हैं? ऐसे मुआवजा देने हेतु गाँव वनोपज के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? यदि इस हेतु प्रावधान नहीं है तो कब तक बना लिए जाएंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के धारा 3(1)(ग) के अनुसार "गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है" पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किया जा रहा है।

भूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.02.2025 के कंडिका क्र. 04 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के अनुसार ग्राम सभा को मुआवजा देने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

वनभूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके कारण ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के जो अधिकार प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुआवजा हेतु वनोपज के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया का उल्लेख भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में है। उक्त अधिनियम में वर्णित संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखित विभागीय पत्र की कंडिका 04(घ) में भी किया गया है।

श्री जनक धुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ वनांचल क्षेत्र है और लगभग यहां 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। यहां पर जो लोग वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, वे वनोपज पर ही निर्भर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गौण वनोपज का जो मूल्य

होता है, क्या उसका मूल्य निर्धारण किया गया है? जैसा कि चार चिरौंजी, इमली, महुआ आदि अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे हाते हैं उस पेड़-पौधे से जो वनोपज मिलता है, क्या उसका कोई मूल्य निर्धारण किया गया है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो लघु वनोपज हैं, बहुत सारे लघु वनोपजों की दर भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। उस दर के आधार पर ही उनसे वनोपज क्रय किया जाता है, उसका संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जहां तक पेड़ की बात है। जब पेड़ का अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी कटाई के बाद उसे संबंधित वन मण्डल के अंतर्गत काष्ठागार में ले जाया जाता है। वहां उसकी नीलामी होती है, उस नीलाम की राशि को संबंधितों के खाते में जमा की जाती है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि जहां दर निर्धारित किया गया है। जैसे एक महुआ का पेड़ है, उससे पांच हजार वार्षिक आय प्राप्त होती है। यदि वहां पर 10 महुआ पेड़ है तो 10x5000 = 50,000/- रूपये की आमदनी होती है। यदि कहीं वह भूमि डायवर्सन हो गया या अधिग्रहण हो गया तो उसका 30 साल का पेड़ का आय 15 लाख रूपये की राशि संबंधित वन समिति के माध्यम से या ग्राम सभा को मिलनी चाहिए? चूंकि भारत सरकार की जनजाति आयोग का जो नियम है, उसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 9 ग्राम सभाओं को वनोजप का मूल्य निर्धारण कर लगभग 4 करोड़ रूपया मुआवजा राशि दिया गया है । इस प्रदेश में दर से संबंधित किसी प्रकार का कोई दिशानिर्देश जारी हुआ है ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनुसूचित जाति अन्य परंपरागत निवासी हैं, उनके लिये वन्य अधिकार को मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2007 यथासंशोधित 2012, वन अधिकार 2006 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता जो उन्हें मिला है, वन अधिकार पत्र उन्हें जो दिया गया है, उस नियम के तहत हम लोगों ने बहुत सारी विसंगतियों को बैठकर निपटाया है, उसका निराकरण किया है और एक नई अधिसूचना हमने जारी की है, जिसके माध्यम से निश्चित ही वन अधिकार प्राप्त जो समितियां हैं, उन समितियों को उसका पूरा लाभ मिलेगा या उन्हें व्यक्तिगत वन भूमि का कोई अधिकार पत्र है तो उसके लिये भी नियम है और सामुदायिक पट्टा जो प्रदान किया गया है, उनको भी उस नियम के तहत हम उस समिति को जो अधिग्रहित क्षेत्र है, वहां जो भी वनोपज हैं या वन है या पेड़ है, यदि उसका कटाई होता है, अधिग्रहण किया जाता है, उसकी पूरी राशि जो संबंधित समितियां हैं, उनके खाते में दी जायेगी ।

श्री जनक ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अलग-अलग पेड़ का मूल्य निर्धारण हो, चार का अलग हो, महुआ का अलग हो, इमली का अलग हो, इस प्रकार से दर निर्धारित हो कि संबंधित व्यक्तिगत वन पट्टा जो है, उसको लाभ मिलेगा और

सामुदायिक पट्टा है, वह ग्राम सभा को भी प्राप्त होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या पेड़ों का अलग-अलग मूल्य निर्धारण करेंगे और कब तक करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि हमारे विभाग की ओर से 18 फरवरी 2025 को स्पष्ट सर्कुलर जारी किया गया है और संबंधित जिलों के जो कलेक्टर है, उसको भी इसकी कॉपी दी गई है तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी है, उसे भी प्रदान किया गया है । मैं समझता हूँ कि प्रभावित क्षेत्र में जो आने वाले जो लोग हैं या उस क्षेत्र में जिनका अधिग्रहण किया गया है, उस अधिग्रहित क्षेत्र के जो पेड़ हैं या फिर और भी वनोपज हैं, उसका पूरा फायदा संबंधित लोगों को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- रामविचार जी, माननीय का प्रश्न यह है कि अलग-अलग प्रजाति के वृक्ष कहुआ का है, महुआ का है, साल का है, चार का है, चिरौंजी का है, क्या उसका अलग-अलग मूल्य निर्धारित करेंगे ? मुझे जो प्रश्न समझ में आया है, यही जानना चाहते हैं । क्या मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है या करेंगे, इनका यह प्रश्न है ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि इससे संबंधित चार, चिरौंजी, महुआ के जो पेड़ होते हैं, उसका रेट वन विभाग निर्धारित करता है । वन विभाग और राजस्व विभाग मिलकर इसका दर निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर उसका मुआवजा प्रकरण बनेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने जो 18 फरवरी को 2025 को सर्कुलर जारी किया है, इसमें यह स्पष्ट दिया गया है ।

जिला-महासमुंद अंतर्गत छात्रवृति भुगतान की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 842) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 25/01/2025 की स्थिति में जिला-महासमुंद में अध्यनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कितनी राशि छात्रवृति के रूप में भुगतान की गई है? वर्गवार, वर्षवार बताएं ? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 का छात्रवृति भुगतान दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 में दिनांक 25/01/2025 की स्थिति में जिला-महासमुन्द में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्गवार एवं वर्षवार भुगतान की गई छात्रवृत्ति की

जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] अनुसार है। **(ख)** जी हां वर्ष 2024-25 का छात्रवृत्ति भुगतान दिनांक 25 जनवरी 2025 तक लंबित है। छात्रवृत्ति स्वीकृति करने की अंतिम तिथि 20.03.2025 तक निर्धारित की गई है। भुगतान निरंतर किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर छत्तीसगढ़ी म एक कहावत हे, दू रोटी कम खावव, लेकिन अपन लईका ला जरूर पढ़ावव । अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी अपन सब कुछ लुटा के, सब कुछ दॉव में लगा के, अपन लइका ला शिक्षा-दीक्षा देथे, अपन बच्चा ला शिक्षा देथे । अऊ सरकार हा घलो, शिक्षा मा पैसा बाधा झन बनै कइके सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति देथे । लइका मन ला कुछ साल से न तो समय पे छात्रवृत्ति मिल पावथे, अऊ न ही कोनो वोमा बढ़ोतरी करे गे हे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर सवाल के जवाब मा माननीय मंत्री जी हा जवाब दे हे कि वर्ष 2024-2025 छात्रवृत्ति के भुगतान अभी तक नई होय हावय अउ अभी शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला हे, लेकिन अब तक छात्रवृत्ति के भुगतान काबर नहीं होए हवय? छात्रवृत्ति के भुगतान म हर साल देरी काबर होवथे, का सरकार ह भुगतान में देरी बर जिम्मेदार अफसर मन ऊपर कोनो कार्रवाई करही, यह मैं जानना चाहथौं ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च से मार्च किया जाता है । अभी मार्च प्रारंभ हुआ है और मार्च तक संबंधित छात्रों की छात्रवृत्ति बन जाती है । चूंकि यह बजट का मामला है और मार्च से मार्च भुगतान करना है, यह हमारा विभाग तय करता है और संबंधित कोई भी विभाग करता है । इसमें अभी मार्च से मार्च सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बन गई है । मैं समझता हूं कि इसका भी निराकरण मार्च के अंत तक हो जाएगा ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लईका मन अच्छा से पढ़ सकें, एकर खातिर छात्रवृत्ति दिए जाथे और मार्च के अंत मा जब परीक्षा समाप्त होवत रहिथे, ओ समय छात्रवृत्ति देके का मतलब होही । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहथौं कि छात्रवृत्ति भुगतान करे के का प्रक्रिया हवय ? मतलब छात्रवृत्ति एकमुश्त देथे या किश्त के रूप में दे जाथे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो छात्रवृत्ति हर महीने देने का नियम है, लेकिन हर महीने नहीं दे पाते हैं तो इसे कभी तीन महीने में या कभी 6 महीने में दिया जाता है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपला बताना चाहथौं कि इही साल नहीं, बल्कि हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी होवथे अउ कई बार तो छात्रवृत्ति ला प्राप्त करे बर छात्र-छात्रा मन आन्दोलन घलो करथें । ए बछर अनुसूचित जाति, जनजाति के लइका मन ला मात्र 27.3 लाख रूपए के भुगतान छात्रवृत्ति में होए हे । आखिर अतकि कम भुगतान होए के वजह का हे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति में राज्यांश और केन्द्रांश होता है । कभी राज्यांश तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन केन्द्रांश आने में कभी विलंब होता है । इस वजह से भी

---

[2] परिशिष्ट ''दो''

छात्रवृत्ति मिलने में समय आगे-पीछे हो जाता है, लेकिन छात्रवृत्ति से संबंधित जितने भी छात्र हैं, उन सभी को छात्रवृत्ति दी जाती है । वह अलग बात है उसमें आन्दोलन स्वाभाविक है । कहीं-कहीं लोग इसे इश्यू बनाकर आन्दोलन करते हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश भर के छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति हमारी सरकार नहीं आने देना चाहती और इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि समय पर उन छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिले ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों का है । जैसे आप सक्षम मंत्री हैं तो निश्चित रूप से कम से कम तीन महीने के अंदर उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाये, उससे ज्यादा समय नहीं बढ़ना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा । अभी छात्रवृत्ति मिलने में 6-6 महीने तक विलंब हो जाता है । कृपया आप इसको दिखवा लें और यह सुनिश्चित कर लें ।

श्री रामविचार नेताम :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव के आधार पर हमारा विभाग इसमें कार्यवाही करेगा और हम सुनिश्चित करेंगे कि 6 महीने के अंदर छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपका प्रश्न ही कर लिया ।

श्रीमती चातुरी नंद :- मैं अध्यक्ष महोदय ला अउ माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देवथौं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश मूणत जी अपना प्रश्न करेंगे । आज वित्त मंत्री जी का जवाब श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी देंगे । उन्हें वित्त मंत्री जी ने अधिकृत किया है ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की योजनाओं में सम्मिलित कृषि भूमि को आवासीय किया जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 86) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 26.11.2024 में यह निर्णय हुआ है कि मंडल की योजनाओं में सम्मिलित भूमि, जिसका प्रयोजन आवासीय के स्थान पर कृषि अथवा शासकीय भूमि अंकित है, को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित किया जाए? यदि हाँ तो इस संबंध में औपचारिक आदेश क्यों नहीं जारी हो पाए? इससे संबंधित प्रक्रिया किस स्तर पर किसके पास एवं किस कारण से रूकी हुई है? विवरण दें। **(ख)** क्या इस संबंध में कोई अंतर्विभागीय कठिनाई है ? यदि हाँ तो बाधाएँ दूर कर हितग्राहियों को कब से लाभान्वित किया जावेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26 नवंबर, 2024 में यह निर्णय हुआ कि "छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को 31.10.2024 तक प्राप्त भूमि को "आवासीय

प्रयोजन" में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क-प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान किया जाए।" तत्संबंध में विभाग द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को समुचित निर्देश जारी करने बाबत् लेख किया गया है। तदानुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में तिथि बताया जाना संभव नही है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लोक महत्व का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । इस प्रदेश में हाऊसिंग बोर्ड ने कई कॉलोनियों का निर्माण किया है और जिन कॉलोनियों के निर्माण के उपरांत लोग मकान क्रय कर लेते हैं । अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा मकान लेने के सालों बाद वर्ष 2013 में आपके कार्यकाल में एक निर्णय किया गया, जिसके बाद इन मकानों को फ्री-होल्ड किया जाता है। फ्री-होल्ड होने के लिए हजारों लोगों के आवेदन आए, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियों के कारण उनका फ्री-होल्ड नहीं हो पाया। मैंने यही विषय चार महीने पहले ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था और मैंने बताया कि रायपुर शहर में चाहे टाटीबंध हो, हीरापुर हो, शंकर नगर हो, डंगनिया हो या फिर अन्य शहर जैसे भिलाई, दुर्ग हो, में ऐसी कई कालोनियों हैं, जहां के लोग फ्री-होल्ड के लिए घूम रहे हैं लेकिन वह भूमि हाऊसिंग बोर्ड के नाम पर कृषि ही है और उसका भूमि परिवर्तन नहीं हुआ है और भू-लेख में परिवर्तन नहीं होने के कारण वह उनके खाते में नहीं चढ़ी। अभी माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी नहीं हैं। आज उनका बजट भाषण है। वह बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अनुभव भी है। उन्होंने सदन में ही मुझे आश्वासन दिया था और मैं ये बात आप और सबके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार मंत्री या कोई भी सदस्य किसी विषय पर प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर एक प्रशासनिक गैलरी भी बैठती है, जिसमें सी.एस. से लेकर उस विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं और जब यहाँ से किसी लोकहित के विषय पर निर्णय होता है और तीन महीने बाद भी यह उत्तर आ रहा है कि उसका परीक्षण किया जा रहा है और समय सीमा बताना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस बात को इसलिए ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। यदि कोई प्रश्न लग रहा है और वह प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, तो उसकी समीक्षा करने के पहले, उत्तर देने के पहले विभाग में इस बात का चिन्तन जरुर होना चाहिए कि पिछली बार मैंने क्या आश्वासन दिया और अभी क्या दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हजारों हितग्राही घूम रहे हैं और उनको कहीं से भी छूट प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय ओ.पी.चौधरी जी एक अच्छे मंत्री हैं, आज उनके विभाग का उत्तर है और उनकी जगह माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी उत्तर देने वाले हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि यह लोक महत्व का विषय है, क्या इसकी समय सीमा निर्धारित कर उस आम जनता को जो हितग्राही है, लाभ देने का कष्ट करेंगे क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश के ऐसे लोगों की चिन्ता पहले भी की थी और इनकी जो चिन्ता है, उससे सरकार सहमत है और पिछले समय सदन में जो आश्वासन दिया गया था, उसकी कुछ नियम प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सरकार ने कैबिनेट में उसे लेकर संबंधित राजस्व विभाग को इस बात को तय करने हेतु कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके समय ही फ्री-होल्ड करने हेतु पहल चालू हुई थी और 13 हजार ऐसे भूखंडों को फ्री-होल्ड भी किया गया है और उनमें से करीब 3000 भूखंड ऐसे हैं, जिनका डायवर्सन नहीं हो पा रहा है। फ्री-होल्ड तो हो जा रहा है और यदि डायवर्सन हो रहा है, तो इसका पैसा लग रहा है और उसके लिए मंत्री परिषद ने यह निर्णय किया है कि जो भी ऐसी जमीनें हैं, जिनमें कृषि लिखा हुआ है और हाऊसिंग बोर्ड ने उनको फ्री-होल्ड किया है, तो उन्हें डायवर्सन शुल्क से माफ किया जायेगा और इसे राजस्व विभाग को दे दिया गया है और आने वाले समय में इस पर एक भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक भी आने वाला है और जब भी वह विधेयक आता है, तो इसमें निश्चित रूप से इन फ्री-होल्ड जमीनों को डायवर्सन से मुक्त रखने हेतु रहेगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री जी ने एक बहुत सारगर्भित प्रश्न पर एक सामान्य उत्तर दे दिया। दिनांक 04-12-2024 को कैबिनेट का निर्णय होता है और कैबिनेट के निर्णय में यह बता दिया जाता है कि संबंधित राजस्व विभाग को ये भेजा गया है और अगर तीन महीने में राजस्व विभाग कैबिनेट के निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो फिर उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। इस बात की गंभीरता केवल मंत्री तक ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रदेश की चिन्ता का विषय हैं कि अगर सरकार का निर्णय कैबिनेट में होने के बाद भी ऐसे सीनियर अफसर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह चार इंजन के खेल हे, तुंहर डब्बा गोल हे। इंजन ही इंजन भागत हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बड़ा विषय है। इस पर पूरी नियम प्रक्रिया से कार्य होता है और कई लोग आज कल हाईकोर्ट के भी संज्ञान में भी कई मामलों को लेकर जाते हैं। जितना सारगर्भित इनका प्रश्न था, मैंने उतना ही सारगर्भित उत्तर दिया है और मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि इसमें जो हमारे पर्यावरण सचिव और जो राजस्व सचिव हैं, इनके साथ जल्द ही बैठक करके इसमें जो भी तकनीकी दृष्टि से विषय आयेंगे, उसको दूर करके जल्द ही सरकार इस पर संशोधन विधेयक लायेगी। इसमें जो फ्री होल्ड जमीन है, उनके डायवर्सन से शुल्क माफ होगा।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, जल्दी की परिभाषा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जल्दी की परिभाषा बता दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, एक बार मुझे माननीय पूर्व मंत्री जी ने भी दूसरे विभाग के संबंध में आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी लंबे समय तक उसी विभाग के मंत्री रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूं कि सामान्यत: जल्दी की परिभाषा क्या है ? मैं बस इतना ही चाहता हूं कि क्या मंत्री जी अगले सत्र के पहले इसका निर्णय करके आम जनता को राहत देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप आश्वासन दे दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अगले सत्र से पहले इसका निराकरण हो जायेगा और अगले सत्र में इसकी जानकारी आ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। आपने सही जवाब दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सुनील जी पूछिये। वैसे तो आज पूरक विषय खत्म हो गया है।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हाऊसिंग बोर्ड के समान ही आर.डी.ए. (रायपुर विकास प्राधिकरण) भी चलता है। इसके अंतर्गत शैलेन्द्र नगर, टैगोर नगर, देवेन्द्र नगर और ऐसे कई अन्य क्षेत्र आते हैं, जहां पर फ्री होल्ड का पैसा ले लिया गया है और अभी तक उसका संचालन नगर निगम कर रहा है। आर.डी.ए. दो हिस्से में पैसे लेती है। एक, हाऊसिंग के हिसाब से लेती है और दूसरा, कॉमर्शियल के हिसाब से लेती है। आर.डी.ए. अभी-भी इन दो टैक्सों को ले रही है और आपने एक तरफ फार्म भरवा लिया है और अभी तक उस भूमि का निराकरण नहीं हुआ है। वह कब तक हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न संदर्भित नहीं होता है। यह इनका विभाग नहीं है। मंत्री जी से चार-चार विभागों के प्रश्न हो रहे हैं। यह राजस्व विभाग का जवाब देंगे कि नगरीय प्रशासन का देंगे कि स्वास्थ्य विभाग का जवाब देंगे ? इतना पर्याप्त है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत नहीं हो रहा है।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री तोखन साहू, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्ष महोदय :- श्री तोखन साहू, केन्द्रीय राज्य मंत्री अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

दुर्ग व भिलाई क्षेत्र में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 493) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में बड़े, मंझोले एवं सूक्ष्म स्तर के कितने-कितने उद्योग संचालित हैं ? इसमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले कितने हैं ? **(ख)** क्या कंडिका "क" के उद्योगों से जमीन एवं भू-जल में वायु प्रदूषण बढ़ा है ? हां तो इसकी जांच वर्ष 2024-25 में कब-कब हुई और जांच के बाद क्या कार्यवाही हुई, नहीं तो क्यों? **(ग)** कंडिका "ख" के प्रदूषण को रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) : (क) दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में बड़े/मंझोले श्रेणी के 63 एवं लघु श्रेणी के 1017 उद्योग संचालित हैं। इनमें केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले बड़े/मंझोले श्रेणी के उद्योगों की संख्या 02 तथा लघु श्रेणी के उद्योगों की संख्या 28 है। **(ख)** जी नहीं। मण्डल द्वारा फरवरी 2025 में प्रश्नांश 'क' के क्षेत्र में 04 भू-जल स्त्रोतों के जल नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया गया है, विश्लेषण परिणाम **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ**[3] **अनुसार** है। विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये हैं। कृषि विभाग, जिला- दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश 'क' के उद्योगों से जमीन एवं भू-जल में प्रदूषण बढ़ने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त से जमीन एवं भू-जल में प्रदूषण बढ़ने की पुष्टि नहीं होती है। मण्डल द्वारा दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के तहत अंतर्गत 04 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 में किये गये मापन कार्य में वायु गुणवत्ता वार्षिक औसत परिणाम मानक के अनुरूप पाया गया है। तदानुसार दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने की पुष्टि नहीं होती है। कंडिका 'क' के केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जाँच तथा उल्लंघन पाये जाने पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** उद्योगों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों की प्रकृति के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर, वेट स्क्रबर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ई.टी.पी., न्यूट्रालाईजेशन सह सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की गई है।

श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि भिलाई एवं दुर्ग क्षेत्र में जो उद्योग हैं। उसका प्रदूषित जल शिवनाथ नदी में जा रहा है। उसको रोकने का कोई उपाय है या नहीं है, मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे ?

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में उद्योगों से हो रहे जल और वायु प्रदूषण के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। आजकल तो सभी उद्योगों में निश्चित रूप से अनिवार्य है कि कोई भी उद्योग किसी भी नदी में प्रदूषित जल को सीधे प्रवाहित नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ही जल का प्रवाह करना है। यदि माननीय सदस्य का कोई स्पेसिफिक मामला है तो हम उस संदर्भ में उसको दिखवा लेंगे।

श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं इस शिकायत पत्र को सदन के पटल पर रख सकता हूं। क्या आप इस शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही कार्रवाई की जायेगी। वैसे भी जो पर्यावरण विभाग है, उसके पास शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के अलावा विशेष रूप से कोई काम नहीं रहता है और वह विभाग सतत् रूप से वही काम करता है। यदि माननीय सदस्य कोई भी शिकायत देते हैं तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे और यदि गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित उद्योग के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केमिकल और उससे जुड़े हुए उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जांच तथा उल्लंघन पाये जाने पर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपने किन-किन उद्योगों के ऊपर कार्रवाई की है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे विभाग ने ऐसी 27 कंपनियों की जांच की है। हमने उस पर कार्यवाही भी की है। अगर माननीय सदस्य उनका नाम चाहेंगे तो मैं उन 27 उद्योगों के नाम पढ़ भी देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उन्हें नाम दे दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी हमने उस पर आर्थिक दण्ड भी लगाया है ऐसे मेसर्स कोलकत्ता टार प्रोडक्ट्स प्लांट नं-17, भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला दुर्ग के ऊपर 1 लाख 10 हजार रूपये अधिरोपित की गई। ऐसे ही मेसर्स श्री श्याम केमिकल्स प्लांट नं-12/आई एवं 13/डी भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला-दुर्ग...।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसके डिटेल माननीय श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को दे दीजिएगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, उनको यह डिटेल जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश जी, आप अपना प्रश्न करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। भिलाई Industrial एरिया के जो Industry का जो

पानी है वह एक तरफ शिवनाथ नदी में जाता है और दूसरी तरफ खारून नदी में जाता है। खारून नदी में जो पानी जाता है, वह मेरे निवास स्थान से एक किलोमीटर की दूरी पर जो नाला है, उसमें स्थिति यह है कि पूरे हथखोज से लेकर उमदा, जरवाय, सभी इन्हीं का क्षेत्र है। दादर, पथ्थर्रा, नंदौरी इन पूरे गांवों से गुजरते हुए नाला जाता है और उस नाले में जो आप वायर को ग्लेनाईज़ करते हैं, उसमें Sulphuric acid का उपयोग होता है और उस पानी को पूरा नाले में छोड़ा जाता है। आज स्थिति यह है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर गया था तो उस नाले की स्थिति यह है कि उसमें एक भी जलचर प्राणी नहीं है। यदि उस पर से मवेशी क्रॉस कर जायें तो उसके खुर जल जाते हैं और उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं। वहां उस क्षेत्र में वही पानी अण्डर ग्राउण्ड वॉटर में जा रहा है। वह पानी पीने के लायक नहीं है, वह न सिंचाई के लिए उपयोगी है। तो वहां पर स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कार्यवाही हो सकती है, लेकिन उसमें लिपापोती कर देते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं है। उस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों से सीधे सल्फ्यूरिक एसिड निकलकर नदी-नालों में जा रहा है क्या आप उसे बंद करवायेंगे? या उस क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जो पानी निकल रहा है, उसे रोकने के लिए आप कोई ठोस कदम उठायेंगे? इसमें आप माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और वह उसमें पूरा भ्रमण कर, जांच करके कोई कार्यवाही कर दे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साईंस का विद्यार्थी रहा हूँ विशेष रूप से रसायन विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। अगर किसी भी उद्योग या नाले में Sulphuric acid जा रहा है तो वह किसी भी जल-जीव के लिए बहुत हानिकारक है। यह पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत दिक्कत है। अगर ऐसी बात है तो मैं विभाग के लोगों को निर्देशित करता हूँ कि विशेष रूप से इसकी जांच करके, परीक्षण करें और उस क्षेत्र के नदी-नालों में वाकई में जा रहा है तो उन संबंधित उद्योगों को ट्रीटमेंट हेतु और जो जल ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जा रहा है, उसका पूरा केमिकल टेस्ट करायेंगे, जिसमें कि सामान्य जल-जीव अपना रह सके, ऐसे उपाए करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत अच्छा बताया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऐसे कितने उद्योग हैं, आपके पास उन उद्योगों की जानकारी है? मैंने उसी में दूसरा संबंधित प्रश्न किया था कि मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ, माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में सारे विभाग के अधिकारी, नगर निगम के भी हो जाएं, आपके पर्यावरण विभाग के हो जाएं, राजस्व विभाग के एस.डी.एम. वगैरह हो जाएं, यह सब मिलकर जांच कर लें क्योंकि इसमें दो नगर निगम हैं। इसमें भिलाई-चरौदा है और भिलाई निगम भी है। तो उसमें दोनों नगर निगमों के अधिकारी रह जाएं और उसकी जांच हो जाए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जानकारी चाही है। इसमें दो बड़े और मंझोले उद्योग हैं। ऐसे 28 छोटे उद्योग हैं, जिनमें चल रही है। वैसे सभी की जांच करायी भी गई है और उनकी जांच कराने के बाद, जिनमें भी कुछ गड़बड़ी पायी गयी है, हमने उसमें नियमानुसार कार्यवाही और दण्ड भी किया है। आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूर्व में आप मुख्यमंत्री थे, आपको उसे अच्छे से कर देना था। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर यह प्रश्न आना ही नहीं था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह फिर से शुरू हो गया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में सरकार चिंतित है और इसमें बिल्कुल कार्यवाही करेंगी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय महंत जी, आप एक प्रश्न करें। आपका प्रश्न हो गया।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सदस्य महोदय, आप अपना प्रश्न कर लीजिए। आपका मूल प्रश्न प्रश्न है। माननीय श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा जी, आपका अधिकार पहले है, मैं आपके बाद में प्रश्न कर लूंगा।

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो राशि Punishment की है। आपने अभी सदन को बताया है। क्या उन उद्योगों के माध्यम से वह राशि जमा हुई या नहीं हुई है ? जो उन उद्योगों के मालिक हैं, उन्होंने राशि जमा की या नहीं की ? और यदि उन्होंने राशि जमा की तो वह कौन-सी तारीख में की ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विभाग ने दंड अधिरोपित किया है तो निश्चित रूप से सामान्य रूप से यह माना जायेगा कि जमा किया होगा। अगर उसने दंड की राशि को जमा नहीं किया होगा तो उसके जो भी प्रावधान होंगे, उसके आधार पर राशि को जमा करवायेंगे। माननीय सदस्य महोदय बता दें कि दंड अधिरोपित करने के बाद जमा नहीं किये हैं तो नियमानुसार जमा कराने की कार्रवाई की जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण का प्रभाव उसी जिले में पड़े, यह संभव नहीं है, आसपास के जिलों में भी पड़ता है। बेमेतरा के पास बलौदाबाजार से लगा लगा हुआ खपराडीह गांव में 40 छात्राएं स्कूल में बैठे-बैठे बेहोश हो गई थीं। उस पर यह बताया कि वायु प्रदूषण के कारण किसी दुष्प्रभाव से छात्राओं को यह प्रभाव पड़ा है और बेहोश हो गई हैं। उसमें जांच के लिए एक समिति भी बनाई थी। मेरा यह कहना शोभा तो नहीं दे रहा है, मगर ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रकरणों में भी आज भी जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई है कि किस प्रदूषण के कारण उन छात्राओं को बेहोशी आई या क्या हुआ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे प्रकरणों में शीघ्र जांच

की स्वीकृति देंगे कि जल्दी से जल्दी एक-दो महीने में जांच पूरी हो जाये? क्या इस जांच को पूरी करा लेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न दुर्ग और भिलाई से संबंधित था। परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चिंता की है तो उसको हम दिखवायेंगे और पृथक से हम आपको उसकी जानकारी विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आपके दो वरिष्ठ लोगों ने पूछ लिया है। उसके बाद आप दूसरे में प्रश्न कर लेना। गजेन्द्र यादव जी, प्रश्न करिये।

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

6. (*क्र. 626) श्री गजेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में किन-किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है? आवेदन शुल्क कितना है? पद संरचना सहित विवरण देवें। कितनी प्रतिभागियों ने विज्ञापन अनुसार आवेदन किया है, कितने प्रतिभागियों का आवेदन निरस्त किया गया है? संख्या सहित विवरण देवें। **(ख)** आवेदित पदों की संख्या के अनुसार कितने शुल्क की प्राप्ति हुई है? क्या पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है या नहीं? यदि नहीं तो पूर्ण न किए जाने के क्या कारण है व कब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञापित पदों, आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क एवं विज्ञापित पदों हेतु स्वीकृत पद संरचना का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार**[4] है। प्राप्त आवेदनों में से कुल 61 आवेदन निरस्त हुये जिसमे से 26 आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने, 08 आवेदनों में पदनाम एवं विज्ञापन संख्या का उल्लेख न होने, 06 आवेदनों में विज्ञापन संख्या उल्लेखित न होने, 09 आवेदनों में पद का उल्लेख न होने तथा 12 आवेदन श्रेणी अंकित न होने के कारण निरस्त हुये है।**(ख)** विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्राप्त शुल्क का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। सहायक प्राध्यापक के 38 पदों की भर्ती पूर्ण की गयी है। भर्ती के संबंध में शिकायत की जांच राजभवन सचिवालय द्वारा करायी गई है। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिक क्रमांक 2821/2024 भी विचारधीन

[4] परिशिष्ट "चार"

है। भर्ती की प्रक्रिया पर आगामी कार्यवाही हेतु राजभवन सचिवालय से दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में अलग-अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सेटअप में स्वीकृत कुल कितने पद हैं और आपने कितने पदों को भरा है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सेटअप स्वीकृति के बारे में पूछा है। 637 अलग-अलग पदों के सेटअप स्वीकृत हैं और उसमें से विज्ञापित पदों की संख्या 181 है। जहां तक भर्ती का विषय है तो सहायक प्राध्यापक के 38 पदों में से 36 पदों पर नियुक्ति दिनांक 04.01.2024 को की गई है जो अद्यतन कार्यरत हैं। 02 पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाये गये हैं, इसलिए उसमें 38 में से 36 पदों पर ही पदस्थ किये गये हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि कुल विज्ञापित पदों की संख्या 181 है और आप बोल रहे हैं कि सहायक प्राध्यापक के 38 पदों के विज्ञापन जारी हुए हैं, उसमें से 36 पदों पर भर्ती हुई है, शेष बाकी लोगों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबको मालूम है कि इस विश्वविद्यालय के तहत जो भर्तियॉ हो रही थीं, उसमें काफी शिकायतें आईं और उन शिकायतों के आधार पर राजभवन ने जांच की। जांच के बाद यह सब-ज्यूडिश मामला था, इसलिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। विभाग ने निवेदन किया है, जैसे ही राजभवन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद जो शेष पद भर्ती के लिए बचे हुए हैं, उसकी भी हम भर्ती कर लेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए अभी भर्ती की प्रक्रिया जांच के कारण रूक गई है तो अभी तक कॉलेज कैसे संचालित हो रहे हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में अभी कितने कॉलेज हैं और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ? यदि कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुए हैं तो हम उन कॉलेजों का संचालन कैसे करते हैं? दूसरे आपने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के राजभवन के द्वारा जांच की गई तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य शासन को किसी प्रकार का कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया कि चूंकि अभी यह सब-ज्यूडिश (विचाराधीन) मामला है, High Court में भी कुछ matter गये हैं और बाकी भर्तियों के बारे में चूंकि जो जांच भी राजभवन के द्वारा की गयी है । माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश के बाद इसमें जांच Committee बनी, जांच Committee ने पूरी जांच की है और उस जांच के आधार पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बाद हमें आगे की जो भर्ती करनी है इस बारे में हमें स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं,

विभाग इसके सतत संपर्क में है । जैसे ही स्पष्ट निर्देश प्राप्त होंगे, शेष पदों की जो अभी भर्ती की जानी है उसके लिए भी हम विज्ञापन जारी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने साफ बता दिया ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि चूंकि यह बच्चों का मामला है । लोगों ने 81 लाख 80,800 रुपए की फीस जमा की है और पिछले दो साल से यह मामला pending है । मैं आपके माध्यम से माननीय माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि या तो जांच प्रतिवेदन को, यदि राजभवन में जांच हुई तो प्रतिवेदन को जल्दी लाकर शासन अपना पक्ष रखकर High Court में उस निर्णय को जल्दी करे ताकि जो बच्चे अर्थात् 2 साल पहले जिसने विज्ञापन में आवेदन किया है, कुछ समय बाद उनकी उम्र भी यानी उसकी अर्हताएं समाप्त हो जाएंगी तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि यह जनहित का मामला है, युवा बेरोज़गारों का मामला है इसमें जल्दी कार्रवाई हो, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- आप चिंता मत करा वर्ष 2047 तक हो जही ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और हम सब जो हैं इसके प्रति गंभीर हैं और विभाग भी पूरी गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई कर रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है इसमें हम लोग निर्णय की स्थिति तक पहुंचकर कार्रवाई करेंगे ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों को, पत्रकारों एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

जिला गरियाबंद के विकासखंड फिंगेश्वर में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 43) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला गरियाबंद के विकासखंड फिंगेश्वर में वर्ष 2018-19 से स्वीकृत कृषि

महाविद्यालय किराए के भवन में संचालित है? आज पर्यन्त तक विद्यार्थियों के पढने के लिए भवन निर्माण न होने के क्या कारण हैं? **(ख)** विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण कब तक किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गरियाबंद का संचालन वर्तमान में फिंगेश्वर स्थित आई.टी.आई. छात्रावास तथा आई.टी.आई. भवन के प्रथम तल पर किया जा रहा है। महाविद्यालय हेतु भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रू. 1491.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्रमांक 5841 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रदान की गई है, भवन निर्माण हेतु निविदा दिनांक 10.01.2025 को आमंत्रित की गई है। **(ख)** महाविद्यालय भवन निर्माण निविदा की समय सीमा के तहत किया जावेगा।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरा प्रश्न जिला गरियाबंद विकासखंड फिंगेश्वर में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय जो वर्ष 2018-19 में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, फिंगेश्वर विकासखंड में कृषि महाविद्यालय का लेकिन 5-6 साल बीतने के बाद भी अभी तक वहां भवन निर्माण नहीं हो पाया है और छोटे से कमरे में पूरे बच्चों की वहां class लग रही है तो माननीय महोदय मैंने प्रश्न तो पूर्व में ध्यानाकर्षण में भी लगाया था लेकिन अभी प्रश्न में कुछ जवाब है । मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में यह जानना चाहता हूं कि यह भवन निर्माण कब तक होगा और कहां पर होगा ? मैं यही जानकारी चाहता हूं ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, चूंकि हमने अपने उत्तर में ही दिया है कि महाविद्यालय हेतु भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 1491.63 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्रमांक- 5841 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रदान की गई है और भवन निर्माण हेतु निविदा दिनांक 10.01.2025 को आमंत्रित की गई है तो मैं यह समझता हूं कि अब इसमें आपको अधिक इंतज़ार करना ही नहीं पड़ेगा । अतिशीघ्र हम वहां पर भवन की स्वीकृति के साथ-साथ वहां निर्माण कार्य भी प्रारंभ कराएंगे और बनने में जितना समय लगे, उस समय पर हम कोशिश करेंगे कि अतिशीघ्र वहां बन जाए और बनने के बाद आपको वहां भवन उपलब्ध हो जाएगा । जो असुविधा हो रही है, मैं इसके लिए अब क्या बोल सकता हूं क्योंकि यह पहले का है, आपके समय में इसकी स्वीकति हुई थी लेकिन पिछले 5 सालों में यह नहीं बन पाया तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाए और वह बन जाए ।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को पूरे राजिम विधानसभा, गरियाबंद जिलावासियों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद भी दूंगा । चूंकि यह आपके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और आज आपके ही माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता की पार्टी की सरकार के माध्यम से आज फिर पुन: भवन निर्माण के लिए 14 करोड़

रूपये की स्वीकृति प्रदान हुई है, जो हमने पूर्व बजट में लाया था, मांग की थी। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) महोदय, एक निवेदन और है कि हमारे फिंगेश्वर में जो फिंगेश्वर विकासखंड है, वह वनांचल क्षेत्र है। वहां पर जमीन आवंटन फिंगेश्वर में ही हो और ये भवन निर्माण फिंगेश्वर में ही हो। कहीं ऐसी जगह में चिन्हांकित न हो, और दूर-दराज में जाने-आने में व्यवस्था बाधित न हो। महोदय, मेरा यही आग्रह है कि फिंगेश्वर से लगी हुई किसी सड़क किनारे या किसी हाइवे रोड के किनारे ही भवन का निर्माण हो। शहरी क्षेत्र में ही हो ताकि इससे आने वाले समय में हमारी छात्र-छात्राओं को यह सुविधा प्रदान हो सके। माननीय महोदय, मेरी यही मांग है।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित ही इसमें दिखवा लेंगे और आपके सुझाव के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 08, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी।

सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में वनोपज के हुए नुकसान का मुआवजा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (*क्र. 524) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या ग्राम बुनागांव, जिला कोण्डागांव द्वारा उनके गांव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए काटे गए पेड़ों से मिलने वाले वनोपज के हुए नुकसान के मुआवजा के लिए आयुक्त आदिम जाति विभाग को पत्र लिखा गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो कब तक होगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :जी हां, अध्यक्ष ग्रामसभा बुनागांव, जिला कोण्डागांव द्वारा उनके गांव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए काटे गए पेड़ों से मिलने वाले वनोपज के हुए नुकसान के मुआवजा के लिए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पत्र लिखा गया है। जिसके अनुवर्तन में संबंधित अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विभाग के पत्र क्रमांक/730/528/2021/25-2, दिनांक 18-02-2025 को दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आदिम जाति विकास मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या बुनागांव, जिला कोंडागांव द्वारा उनके गांव में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए वहां के जो पेड़ काटे गए थे तो उससे मिलने वाले वनोपज में जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के लिए आयुक्त आदिम जाति विभाग को पत्र लिखा गया था, यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? यदि नहीं, तो कब तक होगी?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ग्राम बुनागांव को वर्ष 2021-22 में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। मैं आपको और पूरे सदन को भी डिटेल में अवगत करा देता हूं। उसके तहत् बुनागांव को कुल 1027.9 हेक्टेयर वन भूमि का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया था, उसके तहत वहां के प्रभावित लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था और इस संबंध में आयुक्त को जब आवेदन प्राप्त हुआ है तो आयुक्त के माध्यम से पूरा परीक्षण करने के बाद उसे दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उस दिशा-निर्देश के लिए, जिसमें आपके द्वारा जो वहां के लोगों के द्वारा बुनागांव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सामुदायिक वन क्षेत्र के प्रभावित हो रहे 308 वृक्षों एवं पारेषण लाइन परियोजना में ग्राम सभा बुनागांव के सामुदायिक वन क्षेत्र के प्रभावित हो रहे 67 वृक्ष, जिसमें से 55 वृक्ष के इस संबंध में चार बिंदुओं पर गौण वनोपज के नुकसान के मुआवजा तथा वन भूमि के व्यपवर्तन, अधिग्रहण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है और जो मार्गदर्शन चाहा गया था, उसके आधार पर विभाग ने पूरा परीक्षण किया और परीक्षण के बाद विभाग के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है और उस मार्गदर्शन के आधार पर वनोपज स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा का है। वन संसाधनों के विदोहन से प्राप्त मुआवजे की राशि ग्राम सभा के खाते से प्रबंधन के लिए खोले गए बैंक खाते में अंतरित की जानी है तथा मुआवजा का निर्धारण एल.ए.आर.आर. एक्ट, 2013 में दिए गए विस्तृत प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। इस प्रकार से इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध प्रासंगिक योजनाओं से धन प्रदाय किया जाना है। अतः वन भूमि के व्यपवर्तन, अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण पुन:विस्थापन संबंधित समस्त कार्यवाही पत्र में उल्लेखित अधिनियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कब मिलही, तेला बतावव, साहब?

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दिशा-निर्देश जारी हो गया है । मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि कोई समय सीमा बता दें कि इनको मुआवजा कब तक दिया जाएगा ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, दिशा-निर्देश दिए गए हैं । संबंधित अधिकारियों से हम व्यक्तिगत् रूप से सम्पर्क करके, बात करके सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र उनको इसका लाभ मिल सके ।

जिला-रायगढ़ अंतर्गत फ्लाईएश एवं कोलडस्ट की डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 408) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है, फ्लाईएश डंप करने का क्या नियम है ? डंपयार्ड कहां-कहां हैं? अवैध फ्लाईएश डंप के कितने मामले वर्ष 2024 में प्राप्त हुए हैं? जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं जनवरी 2025 में अनुमति प्राप्त कर 10 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव का कार्य किया गया/किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में राख का भराव किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव इत्यादि में किया जाता है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। ऐश डाईक स्थल की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। अनुमति प्राप्त भू-भराव/खदान भराव स्थल की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। वर्ष 2024 में राख के अवैध डंपिंग के प्राप्त शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जहां-जहां शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वहां क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई जाए । माननीय मंत्री जी बता दें कि क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कैसे होता है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, उसमें विभाग ने क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त फर्मों से वसूल किया है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए जो फार्मूला है EC = PI x N x R x S x LF । इसके आधार पर किया जाता है । इसका फुल फार्म भी बोलें तो पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप भी पूरी तरह से मैथ्स समझते हैं या नहीं ? उन्होंने फार्मूला बता दिया है ।

श्री उमेश पटेल :- थोड़ा बहुत जानता हूं महाराज, मैं भी दिल्ली से पास किया हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- वंडर ऑफ द साइंस पढ़े रहेन हमन ।

श्री उमेश पटेल :- आपका फार्मूला ठीक है, चलिए आप मुझे यह बता दीजिए कि यह जो क्षतिपूर्ति की राशि है, आपने ही उत्तर दिया है कि किसान के खेत में फ्लाई ऐश डम्प होता है उसकी क्षतिपूर्ति की राशि आपने जमा करवाई । तो वह क्षतिपूर्ति की राशि किसान को मिलती है या नहीं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी सरकार आने के बाद 2024-25 में अवैध रूप से डम्प करने वाले लोगों से 1 करोड़, 92 लाख, 28 हजार 325 रूपए की क्षतिपूर्ति वसूल की गई है । चूंकि ऐसे किसानों की जो भी शिकायत है उसमें जो भी ..।

श्री उमेश पटेल :- आपने उत्तर में किसान का नाम दिया है । कुसपोरा के किसान नह यह शिकायत की थी और उसमें आपने क्षतिपूर्ति लागू की है । तो क्या किसान को कोई मुआवजा राशि मिली है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, किसानों की जो क्षतिपूर्ति राशि है वह सीसीबी और सीपीसीबी के पास जमा होती है । उसके आधार पर एनजीटी की गाइडलाईन के आधार पर ।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, किसानों को राशि मिलेगी या नहीं, केवल इतना ही प्रश्न है, उत्तर दे दीजिए ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, पहले आप भी राजस्व मंत्री थे ।

श्री उमेश पटेल :- राजस्व मंत्री नहीं था ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उच्च शिक्षा मंत्री थे । उसमें किसान कोर्ट के पास प्रकरण दाखिल करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो उत्तर दिया है, वह भी आधा अधूरा है । मैं आपको नाम बता देता हूं जन्मजय साव, जिन्होंने जनवरी में कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत की थी कि उनके खेत में फ्लाईऐश डम्प किया गया है । उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं की गई । रायगढ़ जिले में खेतों में फ्लाईऐश डम्प किया जा रहा है । खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, आप केवल ऊपर से पटवा देते हैं और सफाई करवा देते हैं लेकिन किसानों को किसी तरह का फायदा नहीं होता । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो राशि है, यह किसानों को दिलवाने का काम करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, गाईड लाईन में किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है । चूंकि सदस्य ने चिंता की है तो इस पर हम विचार करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, किसान का खेत बर्बाद हो रहा है और उसको मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जायज प्रश्न पूछ रहे हैं । कोई भी फ्लाईऐश प्रोडक्ट करने वाली फैक्ट्री को किसी किसान के खेत में अगर वह जबरदस्ती डालता है तो एफआईआर करके जेल में डालने की कार्यवाही करेंगे क्या, यह बताइए? मुआवजे की बात बाद में तय करेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह जो फ्लाईऐश...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन आज मध्याह्न 12.30 बजे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया जाएगा । अत: सभा की कार्यवाही मध्याह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित् ।

(12.00 से 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की पूरी सीट खाली है। बजट अभी पेश नहीं हुआ है और पहले ही हौसला खो चुके हैं, बताईए। सब खाली है, बुलवाईए, बुलवाईए।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्ययक का उपस्थापन करेंगे। माननीय चौधरी जी। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
12.31 बजे **वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बार की जो स्पीच है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी जानकारी सदन को देना चाहता हूं। हमारी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके दो प्रमुख आयाम हैं। एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, उसी कर्मठता से प्रेरित होकर मैंने इस बार का बजट भाषण खुद अपने हाथ से, अपने हैंडराईटिंग से लिखा है और मेरी हैंडराईटिंग वाली प्रतिलिपि ही सभी सम्माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराईए। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुये अपने विधान सभा में ही वर्तमान में काम करने वाले युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है :-

"कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय,
तो तुम वीर नारायण-गुण्डाधुर की तलवार लिख देना
कोई जो पूछे समानता का पर्याय,
तो तुम गुरू घासीदास महान लिख देना
कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय,
तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना और

कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय,

तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना" (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया।

इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी।

इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुकुटधर पाण्डे जी ने छायावाद की पहली कविता लिखी थी और माधव राव सप्रे जी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। (मेजों की थपथपाहट)

इसी माटी की माता शबरी ने स्नेह और विश्वास निश्छल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने में परम तृप्ति का अनुभव कराया था। (मेजों की थपथपाहट)

मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस महान छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम-राम करता हूं, जय जोहार करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है- भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का अशोक स्तंभ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र के इसी विश्वास की हत्या की थी। इसी विश्वास को चोट पहुंचाया था।

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को "विश्वास वर्ष" के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर "जनादेश परब" मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई।

हमारी सरकार के इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता- जनार्दन ने बार-बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनावों में एकतरफा मुहर लगाने की बात हो। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 में से 10 नगर-निगमों में एकतरफा जीत दिलाई। (मेजों की थपथपाहट) EVM का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। (मेजों की थपथपाहट)

वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेन्द्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को भी अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित 'एंटी-इनकम्बेंसी' की राजनीतिक अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो है 'प्रो-इनकम्बेंसी'। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीन

बार शपथ लिये हैं। (मेजों की थपथपाहट) 2001 के बाद लागातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री या राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 24 साल का समय हो गया। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के द्वारा प्रकट किये गये अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

इन दोनों इंजनों के बल पर 'विकसित भारत' और 'विकसित छत्तीसगढ़' के लिये चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के जीवनकाल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी "रजत जयंती वर्ष" मना रहा है। सन् 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुंच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवनकाल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का GDP वर्ष 2000 में मात्र 21 हजार करोड़ रूपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की GDP को पार कर चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रूपये से बढ़कर डेढ़ लाख के पास पहुंच चुका है। (मेजों की थपथपाहट) विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, तभी-तभी की मुझे अभी याद आती है कि हमारा एक बैचमेट था और हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे, मेरे एक दोस्त का राज्य की PMT में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में था, लेकिन उसे MBBS की सीट तक नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाईट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाईट आते हैं। (मेजों की थपथपाहट) उस समय बस्तर-सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, जिसे हम सबने मिलकर 6500 तक पहुंचाया है। (मेजों की थपथपाहट) 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। (मेजों की थपथपाहट) मात्र 5 लाख

मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, जो आज कई गुना बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिन टन के पास पहुंच चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) 7300 MW बिजली उत्पादन को हम सबने 18000 MW तक पहुंचाने में सफलता पाई है, छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। (मेजों की थपथपाहट) सन् 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज संभवत: हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है, जहां IIM भी है, AIIMS भी है, NIT भी है, IIIT भी है, plastic engineering का institute CIPET भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर का एक और संस्थान आज के इस बजट में जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि "किसी भी राष्ट्र के जीवनकाल में एक पड़ाव आता है, जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है और भारत के लिए यह समय चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखण्ड ऐसा कालखण्ड है, जब देश एक लम्बी छलांग लगाने जा रहा है।" मोदी जी के इन शब्दों में पुन: कहूं तो "यही समय है, सही समय है।" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतन्त्रता के अमृतकाल @ 2047 तक देश को विकसित करने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश के विकास प्रक्रिया में कदमताल करते हुए हम आगे बढ़ सके।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047" पथ प्रदर्शक एक दस्तावेज बनाया है। यह विजन डाक्यूमेंट कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता की महत्वकांक्षाओं, आशाओं और समृद्धि को साकार करने की एक जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है।

यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार-विमर्श कर इसको मूर्त रूप दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे बल्कि यह जन भावनाओं से प्रेरित हो, यह हमारी मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य एवं उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार का प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठाकर एक-एक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी।

पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से GYAN के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है।

हमने पिछले बजट में GYAN अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केन्द्र बिन्दु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे एक साल इन योजनाओं को जनता तक सांय-सांय पहुंचाया भी है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरूआत में मैं GYAN अर्थात् अन्त्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति GATI का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार GYAN को केन्द्र बिन्दु बनाया था। GYAN अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर आगे बढ़ाना है, अगर हमको इनका उत्थान करना है, तो GATI आवश्यक है। उसे आगे बढ़ाने के लिए, GYAN को आगे बढ़ाने के लिए GATI की रणनीति आवश्यक है।

GATI का अर्थ :-

G- Good Governance

A- Accelerating infrastructure

T- Technology

I- Industrial Growth (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, GATI न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के 'विकसित छत्तीसगढ़' के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं GATI के इन्हीं 4 बिन्दुओं को इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा।

<u>Good Governance</u> :-

अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को 10 आधारभूत रणनीतिक स्तम्भों में से एक के रूप में मैंने अपने पिछले बजट में उल्लेख किया था। माननीय श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन और अभिशरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य "Maximum Governance, Minimum Government" की ओर अग्रसर हो सकें। (मेजों की थपथपाहट) एक नये विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवत: देश का पहला राज्य है। (मेजों की थपथपाहट)

लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम 'ई-आफिस' प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो सके, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके।

- सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम 'डिजिटल गवर्नेंस' का उपयोग कर रहे हैं।
- सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नजर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड 'अटल मॉनीटरिंग पोर्टल' आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने 'Gem Portal' से खरीदी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)
- माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में "ईज आफ डूइंग बिजनेस" EoDB. को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरीमुहिम "बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान : BRAP" का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
- स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। 'सुगम ऐप' के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को 'आदर्श उप पंजीयक कार्यालय' बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) पासपोर्ट आफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जायेगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रूपये के शुल्क स्थान पर अब मात्र 500 रूपये का प्रावधान कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा।

सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर "सी.एम. सुशासन फेलोशिप आरम्भ" की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह संभवत: पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि I.I.M. एवं I.I.I.T. के साथ मिलकर 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' शामिल करते हुये दक्ष मानव संसाधन तैयार किये जायेंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

"मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आधुनिक कॉल सेंटर" की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में Anti Corruption Bureau द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़ कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। (मेजों की थपथपाहट)

हमारी सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात् यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लॉयर या सेवा प्रदाता को एक निश्चित समय-सीमा में उनका भुगतान भी हो जाये। भुगतान के लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

अध्यक्ष महोदय, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर PM Excellence Award की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में PM Excellence Award की तरह राज्य में CM Excellence Award प्रदान किये जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की SCA अर्थात् Special Capital Assistance योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किये जा रहे सुधारों जो Reforms हैं, उसको हम केन्द्र के अनुसार कर रहे हैं, जैसे कि भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रेपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-उपयोग का उदारीकण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, SNA स्पर्श व्यवस्था, ऐसे Reforms को हमने लागू किया है और इनको Reforms को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष के incentive के रूप में पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में D.M.F. भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से D.M.F. से करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) D.M.F. के सदुपयोग के ऐसे अनेक उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में D.M.F. अंतर्गत किये गये कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सुधारों का आरंभ है और यही सुधार हैं, जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा।

<u>Accelerating Infrastructure</u> :-

अध्यक्ष महोदय, "अधिकाधिक पूंजीगत व्यय (Maximum Capital Expenditure) को भी मैंने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तम्भ के रूप में उल्लेख किया था। मैंने पूर्व में आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरव गान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किये बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को अपने राज्य में राज्य के '<u>रजत जयंती</u>' वर्ष के रूप में मना रहे हैं, वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। (मेजों की थपथपाहट) पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से निर्माण का, नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को "<u>अटल निर्माण वर्ष</u>" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो है ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नये अवसरों का भी नवनिर्माण भी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूँजीगत व्यय के लिये 22,300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था । इस क्रम को आगे बढ़ाते हुये इस बजट में रिकार्ड पूँजीगत व्यय के लिये 18 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हमने की है और पूँजीगत व्यय 26,341 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) यह कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है । पूँजीगत व्यय में यह वृद्धि अपने आप में ऐतिहासिक और नया रिकार्ड है । पूँजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1 रूपये के पूँजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रूपये से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है । पूँजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा SCA Special Capital Assistance में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1051 करोड़ रूपये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किये हैं ।(मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजिनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पी.डब्लू.डी., पी.एच.ई., जल संसाधन आदि में इंजिनियरों की भारी कमी है, विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजिनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो एवं अधिकाधिक पूँजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिये रोड प्लॉन 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्येश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखण्ड एवं विकासखंड से विकासखंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है । हमने छोटे शहर में जो नगर पंचायत एवं नगर पालिका स्तर के हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुये इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा

रहे हैं, उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, यह नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, राज्य के पी.डब्लू.डी. तथा लोक निर्माण विभाग के लिये इस बजट में लगभग 9500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिये इस बार 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिये उन्नत व्यवस्था OPRMC Output and Performance based Road assets Maintanance Contract. योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, डबल इंजिन सरकार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है, प्रमाण स्वरूप में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिये पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रूपये के सड़कों के कार्य की स्वीकृति प्रदान की है । (मेजों की थपथपाहट) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिये PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSYअंतर्गत 119 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम है, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिये भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये इस बजट में 500 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एअरपोर्टों के विकास कार्यों के लिये बजटीय प्रावधान किये गये हैं । ज्यादा से ज्यादा फ्लाईट संचालन हो सके, इसके लिये 40 करोड़ रूपये का VGF का भी प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं । महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिये और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिये सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

हमने अपने जन संकल्प-पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए NCR की तर्ज पर "SCR मतलब स्टेट केपिटल रीजन" विकसित करने का निर्णय लिया है । जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । इसके लिए बजट में "स्टेट कैपिटल रीजन कार्यालय" की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है । सर्वेक्षण एवं DPR निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

(मेजों की थपथपाहट) आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है । इस बात को ध्यान में, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है । उसके लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

रायपुर शहर में केनाल रोड़ फेस-3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर ब्रीज का निर्माण, एक्सप्रेस वे फेस 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से लाईंग-महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण, अंबिकापुर अम्बेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़का का निर्माण । ऐसे अनेक कार्यों को इस बार बजट में प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

पेय जल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

Technology :-

अध्यक्ष महोदय, गति के तीसरे बिन्दु टी अर्थात् टेक्नालॉजी पर अब मैं चर्चा करना चाहूंगा । औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक, तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है । आज दुनिया चौथीं औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां AI : Artificial Intelligence, Blockchain, IOT and Renewable Energy, प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं। नवाचार उद्योगों को नये सिरे से परिभाषित कर रहे हैं । टेक्नालॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, मोबाईल कनेक्टिविटी, तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है या फिर कहूं तो यह आज के आधुनिक युग का वाहक है, किन्तु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं, जो आज भी दूर संचार की क्रांति से यह अंचल वंचित हैं । इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है । इस योजना का नाम होगा-"मुख्यमंत्री मोबाईल टावर योजना" । (मेजों की थपथपाहट) इस बजट में इसके प्रथम चरण लागू करने जा रही है, इससे जो मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाईल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम VGF के माध्यम से किया जाएगा । इससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाईल टॉवर लगाने के लिए VGF के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट डेटा सेन्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़, SWAN के संचालन के लिए 18 करोड़, डिजीटल गर्वनेंस के लिए 9 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है । ई-धरती योजना के अंतर्गत भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

टेक्नालॉजी आधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS (Next Gen.) की व्यवस्था को लागू करने के लिए 45 करोड़ और आबकारी विभाग में Centralized Command and Control centre सिस्टम को स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए GDP का मूल्यांकन करने के लिए Statistical Analysis System की स्थापना हेतु 7 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । यह दुर्भाग्यजनक है कि अब तक जिलों के पृथक से GDP की गणना नहीं की जाती थी, अब विभिन्न जिलों के GDP की गणना की जा सकेगी एवं जिलावार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह aspirational districts (आकांक्षी जिलों) की तरह योजना बनाकर रणनीतिबद्ध ढंग से काम कर सकेंगे ।

नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अलग से 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

Industrial Growth :-

गति के चौथे बिन्दु इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केन्द्रित बनाया गया है । इसे सर्व समावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । राज्य में निवेशकों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इनवेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाईल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आई.टी. आदि में निवेश की इच्छा जताई है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी नई औद्योगिक नीति का यह नतीजा है कि Semi conductor, Renewable energy जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियाँ छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फॉर्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर-चांपा में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क के लिए इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपए, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपए और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्षों के बजट की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, अत: फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़ एवं इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में उद्योगों को अनुदान मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने के कारण व्यवसायियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष के लगभग 700 करोड़ रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस वर्ष भुगतान करने का बीड़ा उठाया और ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में manufacturing के साथ-साथ service sector में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ-साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फॉर्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं निर्मित हों।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जिला उद्योग कार्यालय, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर में भवनों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>आर्थिक स्थिति</u>

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है, उसके कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा।

वर्ष 2024-2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। देश के राष्ट्रीय औसत की वृद्धि 6.4 प्रतिशत की है

और हमारे राज्य में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।

प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्ष 2023-24 में 5 लाख 12 हजार करोड़ रुपए अनुमानित था, जो कि वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5 लाख 67 हजार 880 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। (मेजों की थपथपाहट)

वर्ष 2025-26 में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राज्य का जी.एस.डी.पी. 6 लाख 35 हजार 918 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आंकलन किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य की विकास दर 5.38 प्रतिशत है, जबकि देश की औसत 3.76 प्रतिशत है। (मेजों की थपथपाहट) औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22 प्रतिशत है, जबकि हमारे राज्य में 6.92 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22 प्रतिशत है और हमारे राज्य की 8.54 प्रतिशत अनुमानित है। ये तुलना दर्शाता है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है।

वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 62 हजार 870 रुपए संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.37 प्रतिशत अधिक है। हमारे राज्य के प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है।

आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाये रखते हुए और भी ऊचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग-अलग क्षेत्रों के अन्य बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा।

<u>संस्कृति :-</u>

सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है,

"मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार-क्षार।
डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार।
रणचण्डी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास।
मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधारय।
फिर अन्तरतम की ज्वाला से, जगती में आग लगा दू मैं।
यदि धधक उठे जल, थल, अंबर, जड़, चेतन को कैसा विस्मय ?
हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय" (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

अध्यक्ष महोदय, हिन्दू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने भी कहा है कि यह एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। "सर्वे भवन्तु सुखिन:" का भाव ही हिन्दुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर, जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आया है और आज पूरी दुनिया को यह World order and Peace अर्थात् विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर काई दे सकता है तो हिन्दू की विचारधारा दे सकती है। दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिन्दुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृति राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, इसका सरल अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है, जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं मिल सकती(मेजों की थपथपाहट)। पश्चिम कहता है कि राज्य के चार अंग होते हैं - जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, सरकार और सम्प्रभुता। पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राणतत्व संस्कृति ही होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाती सिखाती आयी है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा।

तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर जो भारत दिखा न, वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है। प्रयागराज के त्रिवेणी से लेकर राजिम के त्रिवेणी तक भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भांचा राम के जो पद चिन्ह हैं, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राण वायु है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिये लगातार प्रयासरत् हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं के रूकने और खान-पान की व्यवस्था की गयी। राज्य के सवा लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया और पवित्र संगम के स्थान का सौभाग्य प्राप्त किया।(मेजों की थपथपाहट) इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भांचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिये विशेष योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया जा चुका है। (मेजों की थपथपाहट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिये 36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बम्लेश्वरी मंदिर के सामने वाई शेप का पुल, 21 करोड़ रूपये की लागत से इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वर्ष जारी की गयी है। हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का विकास भी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। (मेजों की थपथपाहट)

"छत्तीसगढ़ के बगिया ला, मिल जुल के सजाबो जी।

हमर माटी हमर तीरथ हे, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी।।" (मेजों की थपथपाहट)

यह एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से आरंभ कराया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिये 8 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन और कैलाश मान सरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजनांतर्गत लगभग ढाई लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरी माला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुन: आरंभ किया एवं आज के इस बजट में इस तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया, तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। (मेजों की थपथपाहट) हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाखा का दर्जा दिया। हमने छत्तीसगढ़ राजभाखा आयोग का गठन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के नाम पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किये। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्म श्री कवि श्री सुरेन्द्र दुबे जी ने लिखा है :-

"धन्य-धन्य ये धरती
जिसमें कौशिल्या ने
जनम लिया
सीता का वनवास हुआ
तो इस माटी ने शरण दिया ।।
ये दक्षिण कौशल कुशावर्त
सिरपुर इसकी राजधानी थी
कलचुरियों ने राज किया था

इसकी एक कहानी थी
ये बाल्मिकी की तपोभूमि
तुरतुरिया गुण गाती है
दोनों हाथ उठाकर बोलो
छत्तीसगढ़ की माटी है"। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजो कर रखने के लिए आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अतंर्गत विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है। जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफेक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया जायेगा। इसके साथ-साथ शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय निर्माण भी स्वीकृत किया गया है, इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) हमारा प्रयास है कि यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जायें।

इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के "अखरा विकास" के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) जनजातीय गौरव दिवस, करमा महोत्सव के आयोजन हेतु वृहद् बजटीय प्रावधान किया गया है। स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान हैं। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधान सभा में एक कला दीर्घा का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद् देता हूँ। जनजातीय समुदायों के आस्था के केन्द्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>युवा एवं रोजगार</u> :-

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था "Youth is the Engine of Progress" अर्थात् किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है।

अभी हाल ही में जर्मन चांसलर Olaf Scholz ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात की घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के

लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 90 हजार कर दी जायेगी। यह विश्व पटल पर भारत की उभरती हुई युवा शक्ति का परिचायक है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मनी की 47 वर्ष, चीन की 40 वर्ष, अमेरीका की 39 वर्ष है। वहीं दूसरी ओर भारत की औसत आयु 28 और अगर मैं छत्तीसगढ़ की औसत आयु की बात करूं तो यह देश के औसत आयु 28 वर्ष से भी कम केवल 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल समय है।

महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर, रोजागार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट, सब्सीडी दी जायेगी उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राईटएरिया पर यह छूट और सब्सीडी प्रदान की जायेगी। जो सही मायने में हमारी सरकार की राज्य के युवा शक्ति के प्रति आस्था का हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक और कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 26 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बजट में रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया । एक नये राष्ट्रीय संस्थान के स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा।

हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेलमेटल, आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है। किन्तु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में National Institute of Fashion Technology : N.I.F.T. की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जिससे इन कलाकृतियों को भी नये आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नये अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। (मेजों की थपथपाहट) इससे हमारे युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। N.I.F.T. की स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नये अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। जहां रोजगार की असीम संभावनायें हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 08 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 08 से बढ़कर 20 हो जायेगी। ये 12 नवीन शासकीय

<u>नर्सिंग कॉलेज</u> जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा जिला, बीजापुर, कुरूद, जशपुर, नवा रायपुर, बैंकुण्ठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुन्द में स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या हम कहें कि आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज स्थापित है। हमने इस बजट में प्रदेश में एक साथ <u>6 नये शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज</u> की स्थापना का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया है। (मेजों की थपथपाहट) ये 6 शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़ में स्थापित किये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्स एवं उनकी स्थिति वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाये हैं। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान के लिए इन संस्थानों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। हमने इसके लिए इस बजट में ITIs एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) कुस्तुरा तहसील, दुलदुला जिला जशपुर में नई आई.टी.आई. के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।

आज की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर विद्यमान हैं और पर्यटन क्षेत्र इनमें से एक ऐसा ही क्षेत्र है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित धूड़मारास गांव को UNWTO (World Tourism Organisation) द्वारा Best Tourism Village के रूप में चयनित किया गया है। जशपुर के मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है।

इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर एवं रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर Home Stay Policy लागू करने का निर्णय लिया है तथा इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) जिसका विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, S.S.I.P. (Student Startup Innovation Policy) के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किये जा रहे हैं कि हम अपने युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ-साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नये विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। यह हमारी रणनीति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 01 वर्ष में लगभग 10,000 से अधिक पदों की भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) तथा आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों के स्वीकृति की प्रकिया को और तेज गति प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जायेगी। (मेजों की थपथपाह)

<u>खेल प्रोत्साहन</u> :-

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में खेल प्रोत्साहन के लिये छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेकर आई है । अनेक प्रावधानों में से विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा :-

सरगुजा एवं दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण का प्रावधान । 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

सारंगढ़-बिलाईगढ़, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सक्ती, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

कुरूद, धमतरी एवं बलौदा बाज़ार के सुहेला में इनडोर हॉल निर्माण का भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

जशपुर में फुटबाल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट एवं मिनी स्टेडियम तथा इनडोर हॉल निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किए गए हैं ऐसे अनेक खेल को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान इस बजट में शामिल है ।

<u>नगरीय विकास</u> :-

अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर वृद्धि में नगरीय विकास उत्प्रेरक का कार्य करता है । आर्थिक विकास के साथ शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता जायेगा । हमारे शहरों का सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास हो, इसके लिये अनेक बजटीय प्रावधान इस बजट में किये गये हैं :- मैंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना उसके अंतर्गत 5 सौ करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पहले ही ज़िक्र किया ।

नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत 744 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

सबके लिये आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंतःकरण से बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नयी योजना "मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान" प्रारंभ करने का निर्णय लिया है । इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर उसकी सफल कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुये हमने 17 नए नगरीय निकायों में, नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिये 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ।

<u>ग्रामीण विकास</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं । (मेजों की थपथपाहट) शहरी एवं ग्रामीण विकास दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती है । ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसमें से मैं कुछ का ज़िक्र करना चाहूंगा ।

ऐसे कई सारे ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं । ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

गांवों के अंदर "मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना" हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

राज्य की ग्राम पंचायतों में UPI पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वितीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता नहीं थी, उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे 18 लाख गरीब भाई-बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे । किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है :-

"कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में
पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते ।" (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में दी मोदी की गारंटी के अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदू को पूरा करने के लिये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों PVTGs के आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रूपये प्रावधानित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास की क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, जिनके पास ढाई एकड़ तक जमीन है (सिंचित), 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रूपये प्रतिमाह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सकेगा। (मेजों की थपथपाहट) नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है, जो डबल इंजन सरकार का परिचायक है। (मेजों की थपथपाहट)

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुए हैं, अत: इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने 200 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>नवा रायपुर, अटल नगर</u> :-

अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का Growth Engine का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा।

आज नवा रायपुर में RBI, Union Bank, Indian Overseas Bank, PNB, Bank of India, NTPC इन सबके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। बाल्को कैंसर अस्पताल, सत्य साईं अस्पताल जैसे अनेक संस्थान भी नए कीर्तिमान स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं।

आज नवा रायपुर में Electronic Manufacturing Cluster, IT क्षेत्र में भी यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अब यहां पर semi conductor, Data Centre जैसे क्षेत्रों से संबंधित उद्योग भी आ रहे हैं।

Wedding Destination के रूप में भी नवा रायपुर ने पहचान बनाई है, जिसके कारण Hotel Industry के लिए भी यह एक आकर्षक केंद्र बनकर उभर रहा है।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई है। (मेजों की थपथपाहट) इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में एजुसिटी विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

नवा रायपुर के गोल्फ कोर्स में National Golf Tournament का आयोजन भी हाल ही में संभव हो पाया। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा International Cricket Stadium हमारे द्वारा बनाया गया है।

नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर ICCC के उन्नयन, संचालन एवं संधारण हेतु इस बजट में 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

विकसित भारत का Iconic Destination निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर में ई-बस सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़, साईंस सिटी की स्थापना हेतु 37 करोड़ तथा नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

Plug and play office space विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ रूपये की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रावधान है। हमने CBD हर कमर्शियल टॉवर में 2000 IT रोजगार हेतु जगह का आवंटन टेली परफार्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, सी.एस.एम. जैसी कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. कर लिया है। इस वर्ष में ही 700 से अधिक लोगों को रोजगार ऑलरेडी मिल चुका है। नवा रायपुर में बसाने की दृष्टिकोण से लोगों की सुविधा की दृष्टिकोण से SDM कार्यालय और नवीन तहसील कार्यालय के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास :-

अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज के समृद्ध होने की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक उस समाज में एक आदर्श संस्कृति का निर्माण न हो और एक समृद्ध संस्कृति के निर्माण की बुनियाद उस समाज में नारी के सम्मान पर टिकी रहती है। हमारे आर्थिक विकास का आधार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान तथा नारी का राज्य की GDP में योगदान रहा है और रहेगा।

पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत..।

अध्यक्ष महोदय :- चौधरी जी, एक मिनट।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के उपस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभा के भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन (क्रमश:)

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत "महतारी वंदन योजना" में 3 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है (मेजो की थपथपाहट) । "महतारी वंदन योजना" ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों को आत्म-सम्मान और स्वाभिमान दिया है । लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं । आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते खुले । सबसे बड़ी बात बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है । सारंगढ़ के दांसरा गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जहां बहनें, महतारी वंदन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं (मेजो की थपथपाहट) । इस तरह के उदाहरण हमें असीम ऊर्जा से भर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी-टू-ईट पोषाहार का काम हमारी माता-बहनों से छीनकर कुछ ठेकेदारों के हवाले कर दिया था । माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस अन्याय को ठीक करते हुए, पुन: इस कार्य को महिला स्व-सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है (मेजो की थपथपाहट)।

हमारे द्वारा अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग-अलग गतिविधियों से जोड़कर "लखपति दीदी" बनाया गया है । हमने अगले तीन वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का

लक्ष्य रखा है (मेजो की थपथपाहट) । कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है ।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के तहत् 5 करोड़, वन स्टॉप सेंटर-सखी के लिए 20 करोड़, शहरी क्षेत्रों में डेढ़ सौ और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 42 करोड़, नवीन 7 परियोजना कार्यालय निर्माण के लिए 3 करोड़, 16 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

समाज कल्याण

अध्यक्ष महोदय, हमने समाज में सभी लोंगों के गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किये हैं । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़, सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4 करोड़, दिव्यांगजनों के शैक्षणिक संस्थानों के 30 करोड़, फिजिकल रिफरल रि-हैबिलिटेशन सेंटर का उन्नयन एक आदर्श कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र के रूप में करने के लिए 5 करोड़, जशपुर नगर में दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श आवासीय परिसर निर्माण के लिए ढाई करोड़, माना कैम्प रायपुर में दिव्यांगों के विशेष विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 5 करोड़, भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केन्द्र संचालन हेतु 10 करोड़ एवं थर्ड जेंडर समुदाय के लिए समानता आधारित अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किये गये हैं ।

खाद्य सुरक्षा

अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्री रहते हमारा राज्य देश का पहला राज्य था, जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था । साथ ही पीडीएस की एक उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तारीफ की थी (मेजो की थपथपाहट) । इस बार के बजट में खाद्य सुरक्षा हेतु 5,326 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य या समाज का मूल आधार शिक्षा होती है । इसलिए हमने बजट में पर्याप्त शैक्षणिक प्रावधान किये हैं । नियमित शैक्षणिक प्रावधानों के अतिरिक्त -

- पीएमश्री स्कूल योजना के लिए 270 करोड़,
- राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के 10 करोड़,
- संचालनालय लोक शिक्षण के नवीन भवन निर्माण के लिए 10 करोड़,
- रामकृष्ण आश्रम अबूझमाड़ के लिए 10 करोड़,

- विभिन्न शालाओं के निर्माण हेतु 30 करोड़,
- 5 जिलों सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जशपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़, 50 लाख,
- बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़, 25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़।
- नवा रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए साढ़े चार करोड़ एवं 10 महाविद्यालयों में छात्रावास भवन पुनर्निर्माण के लिए भी बजटीय प्रावधान एवं करडेगा जिला जशपुर में महाविद्यालय के निर्माण के लिए तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

<u>स्वास्थ्य</u>

अध्यक्ष महोदय, "शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना" के तहत् प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है (मेजो की थपथपाहट) । राष्ट्रीय स्वासथ्य मिशन (एनएचएम) के लिए इस बजट में 1850 करोड़ रूपए का प्रावधान है ।

हमारे संकल्प पत्र के अनुसार विकासखंडों में सिकलसेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 50 विकासखंड हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है । वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भी इस बजट प्रावधान है ।

डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार के विगत् एक वर्ष के प्रयास से यहां कार्डियक बाईपास भी प्रारंभ हो गया है जिसके विस्तार हेतु 10 करोड़ रूपए का बजट इस बजट में रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) नि:संतान दंपत्तियों के लिये IVF तकनीक एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है, लेकिन इसके महंगा होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर दंपत्ति इसका लाभ नहीं ले पाते। सरकारी स्थानों पर इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं रहती। इसका ध्यान रखते हुए नि:संतान दंपत्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में <u>ART: असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केन्द्र</u> स्थापित किया जायेगा। इस हेतु बजट में 10 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) यह प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार इस तरह के सेंटर की स्थापना होगी।

मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग व अन्य विभाग हेतु प्रथम चरण में 20 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था भी की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

हम अपने सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं। इसके लिए मेकहारा में 28.5 करोड़ के 3 टेस्ला MRI मशीन और 26 करोड़ के 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगायी जायेगी तथा महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

मेडिकल कॉलेजों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से निर्णय प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करते हुए उनके वित्तीय अधिकारों में न केवल बढ़ोत्तरी की गयी है बल्कि मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से संचालित हो, स्वशासी समितियों को सशक्त करने हेतु बजट आबंटन भी किया गया है।

जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम जिला में 220 बिस्तर अस्पताल, राजा-नवागांव जिला कबीरधाम, भेज्जी जिला सुकमा में PHC की स्थापना, पचपेड़ी-बिलासपुर के PHC का CHC में उन्नयन, ग्राम-कटवार (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) में SHC इन सबके लिये पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

इसी तरह सरोना-रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, सरिया : सारंगढ़-बिलाईगढ़, जिला नवागढ़-बेमेतरा जिला तथा कटघोरा-कोरबा जिला के CHCs का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मोतिमपुर-मुंगेली, भण्डारपुरी-रायपुर, सिरिमकेला जिला जशपुर में PHC की स्थापना, कोतबा-जशपुर, धरसींवा-रायपुर तथा तरेगांव जंगल-कबीरधाम के CHC का उन्नयन, तखतपुर में मातृ-शिशु अस्पताल की स्थापना करने हेतु भी पदों एवं भवनों के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

सेन्दरी-बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय, कुरूद-धमतरी, बसना-महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पतालों, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं गरियाबंद के जिला चिकित्सालयों, बीजापुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) सनावल-बलरामपुर जिला, पिपरिया-कबीरधाम जिला, गिरौदपुरी-बलौदाबाजार जिला, जरहागांव-मुंगेली जिला में CHC हेतु, ग्राम-कोदवागोडान-कबीरधाम, सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य को नैचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 10 बेड वाले 4 योग प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना हेतु 13 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ी-करण हेतु इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान है।

इस बजट में विश्व स्तरीय एवं मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक इन्टीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षणशाला लेबोरेटरी बनाने के लिए 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र :-</u>

अध्यक्ष महोदय, खेती का मानवजीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाईयों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश के 25 लाख 49 हजार किसानों से 1 करोड़ 49 लाख टन से अधिक धान खरीदा है। यह अब तक किसी भी वर्ष में की गयी सबसे अधिक धान खरीदी है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है, प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत् लगभग <u>1 लाख करोड़</u> रूपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। (मेजों की थपथपाहट)

कृषक उन्नति योजना के लिये विगत् वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मोदी की गारंटी के तहत् <u>दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना</u> के माध्यम से 5 लाख 62 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता करते हुए। इस वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

कृषि पम्पों के नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना अंतर्गत 3500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी, इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरूआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1362 करोड़ रूपये का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरूद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रूपये का कुल क्लेम भुगतान किया जा चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाली दलहन एवं तिलहन की फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए <u>"प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान"</u> के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों की खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अनाज फसलों यथा-धान, गेहूं, रागी, कोदो-कुटकी के साथ-साथ दलहन, तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिये बजट में "कृषक समग्र विकास योजना" अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) हम आगामी वर्ष से राज्य में नैनो यूरिया एवं डी.ए.पी. को भी प्रोत्साहित करेंगे।

आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ-साथ संबंधित गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं।

बागवानी :-

हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किये हैं :-
एकीकृत बागवानी मिशन के लिये 150 करोड़।
ऑयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़।
ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

डेयरी :-

अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकाठा का डेयरी मॉडल देखा है जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25 हजार से 1 लाख रूपये तक प्रतिमाह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिये किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेव्हलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है। इसके जरिये छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जायेगा। "डेयरी विकास समग्र परियोजना" हेतु 90 करोड़ का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>मत्स्यकी :-</u>

आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है तथा मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है।

3 नवीन हेचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिले हैं-मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं खैरागढ़-गंडई-छुईखदान। इन 3 जिलों में हेचरी सह संवर्धन पोखर के निर्माण हेतु राशि रूपये 75 लाख का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिये 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है।

मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना लगभग 5-6 गुना की वृद्धि की है।

1 लाख मत्स्य एवं पशुपालकों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किये गये हैं, जैसे :-

- संयुक्त संचालक कृषि - बिलासपुर
- उप संचालक कृषि - मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा-बाजार, जशपुर, कोरबा, सूरजपुर
- अनुविभागीय कृषि अधिकारी - मुंगेली, बलौदा-बाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, सक्ती
- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय - बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा
- मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला - जगदलपुर, कोरबा एवं
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय - सरगुजा, उसूर, जशपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा
- सहायक संचालक उद्यान कार्यालय - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सूरजपुर जिले का इस तरह के अनेक प्रावधान किये गये हैं

भवानी साव, राम लाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एक मात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है, उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा

महाविद्यालय के साथ-साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे, इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाये, इसके लिए प्रयास है।

<u>सहकारिता</u> :-

मानननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं :-

- PACS कम्पयूटरीकरण योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2028 PACS का कम्पूटीकरण किया जा रहा है, इस हेतु बजट में 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सहकारी समितियों को सुविधा सम्पन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सह-कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के शक्कर कारखानों की की कार्यशील पूंजी 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

<u>जल संसाधन</u> :-

अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है।

प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण है। इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्ययोजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने <u>'अटल सिंचाई योजना'</u> लागू करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) ताकि पुरानी सिंचाई योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5 हजार करोड़ रूपए व्यय करके 1 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>वन</u> :-

अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ राज्य ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हमारे राज्य के वन क्षेत्र न केवल पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के ताना-बाना के धागा भी हैं।

पिछली सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई-बहनों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए 'चरण पादुका' योजना बंद कर दिया था। हमारी जनहितैषी सरकार ने इस निर्णय को

पलटते हुए इस चरण पादुका योजना को पुन: चालू किया और इसके लिए बजट में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान भी रखा गया है।

- हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध तेन्दूपत्ता के संग्रहण दर को 4,000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रूपए प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया, (मेजों की थपथपाहट) हमने इसके लिए 204 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है।
- राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन हेतु 40 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

<u>जनजातीय समुदायों का विकास</u> :-

अध्यक्ष महोदय अब मैं जनजातीय समुदाय के विकास पर चर्चा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज कला, संस्कृति, परम्परा में न केवल विविधता प्रदान करता है, बल्कि अनुभव एवं प्राकृतिक ज्ञान का भी एक अद्भुत भण्डार है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में सदियों से आदिवासी भाईयों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस बजट के द्वारा हमने अपने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अनेकों बजटीय प्रावधान किए हैं :-

- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और अधोसरंचना के विकास के लिए 221 करोड़ रूपए,
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ रूपए,
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM-JUGA योजना के लिए उर्जा विभाग को देने के लिए 50 करोड़ रूपए,
- पी.एम.-जनमन के तहत PVTGs विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को सभी योजनाओं में सैचुरेट करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की दृष्टि से 30 करोड़, ट्राइबल वेलफेयर विभाग को 12 करोड़ तथा आवास निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
- जिला बलराम एवं राजनांदगांव में 500-500 सीटर <u>'प्रयास'</u> आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 21 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान है।

आगामी वर्ष में अन्त्यावसायी निगम के बकाया ऋणों का भी समझौता के माध्यम से OTS द्वारा निराकरण किया जायेगा।

<u>बस्तर</u> :-

अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले बजट में मैंने आर्थिक विकास के 10 स्तम्भों में से एक स्तम्भ "बस्तर और सरगुजा की ओर देखो", का भी जिक्र किया था। मैं बस्तर में किए गए प्रयासों के सम्बन्ध में सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा।

बस्तर में पहले एजुकेशन सिटी, पोटाकेबिन, प्रयास विद्यालय, छू लो आसमान, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिन्दे जैसे इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट चलाये गये, जिससे बस्तर की भावी पीढ़ी को भटक कर नक्सलवाद की चंगुल में फंसने से बचाया जाये। बस्तर के युवा गोली, बंदूक, लैंडमाइन की बात करने के बजाय इन परियोजनाओं के कारण कागज, कॉपी, कलम, NEET, IIT की बात करने लगे। बस्तर नक्सलगढ़ के जगह पर शिक्षा का गढ़ बनने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी प्रदेश के बाहर नक्सली परसेप्शन से बस्तर को बाहर नहीं निकाल पाये हैं। इस नकारात्मक परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

भारत के सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मार्च-2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने नक्सलवाद में प्रचण्ड प्रहार करते हुए मात्र सवा साल के छोटे अंतराल में 305 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है तथा लगभग 1000 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

नक्सलवाद से मुक्ति के साथ ही बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशसस्त हो रहा है और अब वहां गोलियों की गूंज नहीं बल्कि स्कूलों की घंटियां और मांदर के थाप सुनाई पड़ने लगे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अब बस्तर की फिजाओं में दहशत का सन्नाटा नहीं, बल्कि महुआ की भीनी-भीनी खुशबू का अहसास होने लगा है। (मेजों की थपथपाहट) आज जहाँ कोंटा ब्लॉक के <u>पूवर्ती</u> जैसे गांव, जो माओवादी हिंसा के केन्द्र बिन्दु थे, वहां पर पहली बार लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र पर अपना भरोसा जताया है। (मेजों की थपथपाहट)

इस वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी थे, जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। इस नये वित्तीय वर्ष में <u>बस्तर ओलंपिक</u> आयोजन के लिए 5 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। बस्तर के जनमानस में स्वस्थ, सकारात्मक एवं सृजनात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए जगह-जगह पर <u>योग शिविर</u> का आयोजन किया जायेगा, इसके लिए भी इस बजट में 2 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, बस्तर पर्व, त्यौहार, मेला-मड़ई एवं उत्सवों का सदैव केन्द्र बिन्दु रहा है और यह वहां की संस्कृति की यही पहचान है। बस्तर मड़ई एवं बस्तर में मैराथन के लिए भी इस बजट में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

बस्तर के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य, समृद्ध प्रकृति एवं जलवायु की विशिष्टता के कारण इको एवं फार्म टूरिज्म की संभावनाओं, जैव विविधता अवलोकन एवं टूरिज्म जोन के निर्माण के लिए भी 10 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

बस्तर में जैसे-जैसे नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है, वहां समग्र विकास की दृष्टिकोण से "नियद नेल्लानार (अर्थात् मेरा सुंदर गांव)" योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों को हितग्राहीमूलक योजनाओं से सैचुरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस बजट में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस खरीफ सीजन में सिर्फ बस्तर क्षेत्र के लगभग ढाई लाख किसान भाईयों से 14 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई तथा लगभग 3228 करोड़ रूपये उनके खाते में सीधे भुगतान किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास यह भी है कि कोण्डागांव के नवनिर्मित एथेनॉल प्लांट भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जाये, जिससे क्षेत्र के किसानों को इसका बहुप्रतीक्षित लाभ मिलना शुरू हो जाये।

सरगुजा :-

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरगुजा अंचल भी हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार में सरगुजा क्षेत्र लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा, लेकिन माननीय विष्णु देव साय जी की नेतृत्व में अब सरगुजा क्षेत्र में विकास के नये युग का प्रारंभ हो रहा है। सरगुजा अंचल के सभी जिलों के समग्र और संतुलित विकास हेतु, हमारी सरकार ने इस बजट में विभिन्न प्रावधान किए हैं।

- हमारी सरकार आने के बाद अंबिकापुर कॉलेज हेतु हमने 118 करोड़ रूपये जारी किए हैं। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप में इस अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हेतु 110 करोड़ रूपये के अतिरिक्त राशि इस वर्ष जारी की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)
- सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जशपुर पर्यटन सर्किट जिसमें तातापानी, सेमरसोत अभ्यारण्य, पंड्रापाट, जशपुर मयाली, कुनकुरी कैलाश गुफा मैनपाट आदि शामिल हैं, इस टूरिस्ट सर्किट के लिए 10 करोड़ रूपये के लिए प्रावधान किया गया है।
- बलरामपुर में प्रयास विद्यालय स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान

- सरगुजा अचंल के दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधएं देने के लिए कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन, मनेन्द्रगढ़ में मानसिक रोगी अस्पताल हेतु बजटीय प्रावधान किए गए हैं। (मेजों की थपथपाहट)
- जशपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र और फिजियोथेरेपी केन्द्र हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है ।
- अंबिकापुर Engineering College के भवन निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- बैकुंठपुर, बलरामपुर और जशपुर में नरसिंह कॉलेज
- एडवेंचर टूरिज्म के तहत मयाली क्षेत्र जिला जशपुर वाटर स्पोर्ट्स पर्यटन विकास हेतु 5 करोड़,
- सरगुजा में केन्द्रीय उपकरण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला का भी प्रावधान है ।
- छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण का भी प्रावधान किया गया है ।

इन प्रावधानों के माध्यम से हम सरगुजा के लोगों को बेहतर सुविधायें, अवसर और बेहतर जीवनस्तर देने का प्रयास कर रहे हैं । हमारी सरकार का उद्येश्य है कि सरगुजा क्षेत्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये और यहां के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो ।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में कम घनत्व वाले आबादी के क्षेत्र होने के कारण सार्वजनिक यातायात के साधन, बस आदि पर्याप्त नहीं होते हैं, अतः हमारी सरकार ने पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये एक नई योजना बनाया है । मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री "सुगम यातायात योजना" का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये 25 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, कास्तकार, मजदूर, व्यवसायी, जिन्हें अपने व्यावसायिक आवश्यकताओं, उत्पादों की बिक्री, उन्नत ईलाज, पठन-पाठन, तहसील कार्यालय, एस.डी.एम. कार्यालय में काम करने के लिये जो जाना पड़ता है, उस आवागमन उसको सीधी सुविधा होगी और इसका सीधा-सीधा गरीब लोगों को लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिये भी 50-50 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

<u>उर्जा</u>

अध्यक्ष महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना के अंतर्गत 1000 रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

- एकलबत्ती कनेक्शन का लाभ कुल 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है, इस योजना हेतु 500 करोड़ रूपया का बजटीय प्रावधान किया गया है ।
- "पी.एम.कुसुम योजना" के क्रियान्वयन में पूर्ववर्ती सरकार का रवैया अत्यन्त उदासीन रहा, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। किन्तु अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन का निर्णय करते हुये 362 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली योजना हेतु भारत सरकार की "पी.एम.सूर्यघर योजना" अंतर्गत अतिरिक्त लाभ हितग्राहियों को देने के लिये बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)
- "पी.एम.सूर्यघर मॉडल सोलर विलेज योजना" के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने हेतु 33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।
- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण हेतु 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

राजस्व

- अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से सरोकार रखता है एवं हमारी सरकार एक सुगम, सरल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध है ।
- राजस्व न्यायालय की कार्यवाही ऑनलाईन स्ट्रीमिंग के लिये 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है ।
- राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर पब्लिक डोमेंट में उपलब्ध कराने के लिये 15 करोड़ रूपया का प्रावधान है ।
- यह भी निर्णय लिया गया है कि हमारे मैदानी स्तर पर पटवारी लोग सुगमता से अपनी सेवायें दे सकें, इसके लिये उन्हें संसाधन भत्ता दिया जायेगा, इसके लिये भी समुचित बजट प्रावधान इस बजट में किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय...।

श्री रामकुमार यादव :- मोर एक ठन सुझाव हे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- होन दे, होन दे ना ।

श्री राम कुमार यादव :- एक मिनट । एक मिनट ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर एक विशेष प्रावधान है, मेरा रिक्वेस्ट है, इसे सभी लोग ध्यान से सुने । अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने जाते हैं, उस पर 12 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर अर्थात शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

कानून व्यवस्था

- कानून व्यवस्था अंतर्गत हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त करने Responsible एवं Responsive Policing के लिये बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं । आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज में आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तरह अपराध के भी नये-नये रूप देखने को मिल रहे हैं । जैसे कि Cyber Crime, Cyber Arrest आदि ।
- इसी वर्ष 5 नवीन साईबर थाने बलौदाबाजार, भाटापार जिला, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर में खोले जायेंगे ।
- साईबर एवं वित्तीय अपराध के रोकथाम, विवेचना इत्यादि के लिये विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने एवं साईबर फोरेंसिक शाखाओं को फोरेंसिक उपकरणों, साफ्टवेयर आदि के लिये भी बजटीय प्रावधान किया गया है ।

समय :-
1:00 बजे

- ड्रग्स जैसी व्यापक सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए 10 जिलों रायपुर, महासमुन्द, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा में एंटी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन हेतु 3 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

इसके साथ ही किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए NSG की तर्ज पर एक आधुनिक फोर्स SOG (Special Operation Group) का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

राज्य में बढ़ते औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र के CISF की तर्ज पर SISF (State Industrial Security force) के गठन का निर्णय करते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में "बस्तर फाइटर्स" का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाईटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

6 नवगठित जिलों में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर एवं सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना एवं सुकमा जिले के 2 नक्सल प्रभावित गांव एलमागुंडा तथा डब्बाकोंटा में नवीन पुलिस थाना हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 1 नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा, इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

जनसम्पर्क :-

अध्यक्ष महोदय, जन सम्पर्क विभाग शासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है । इस बजट में जनसम्पर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

इस बजट में पत्रकार साथियों के समाज में विशेष योगदान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं ।

- रायपुर में प्रेस क्लब भवन के रेनोवेशन एवं विस्तार हेतु 1 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)
- पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 20 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है । (मेजों की थपथपाहट)
- पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य में 'प्रवासी सम्मेलन' भी कराने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डी.ए.) बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया जाएगा और मार्च माह का वेतन, जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय अनुशासन

वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान :-

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । बजट अनुमान सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब होता है । यह केवल

संख्या मात्र नहीं है, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं ।

प्राप्ति :-

मैं प्राप्तियां का जिक्र करना चाहूंगा । वर्ष 2025-26 में 1 लाख, 65 हजार, एक सौ करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12 प्रतिशत अधिक है । (मेजों की थपथपाहट) कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76 हजार करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 65 हजार करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रूपए अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54 हजार करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22 हजार करोड़ अनुमानित है ।

हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं । इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किये राज्य के स्वयं के राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

व्यय :-

व्यय की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1 लाख, 65 हजार करोड़ अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1 लाख, 38 हजार, 196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26 हजार 341 करोड़ अनुमानित है । (मेजों की थपथपाहट)

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22 हजार 300 करोड़ था । वर्ष 2025-26 में 26 हजार 341 करोड़ का अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विज़न को सामने रखा है इसलिए दीर्घकालिक समयावधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में Consolidated Sinking Fund: CSF में हमने 480 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जिसके फलस्वरुप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। यह CSF वित्तीय स्थिरता के लिए, financial consolidation के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के best three performing states में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है।

साथ ही हमने Guarantee Redemption Fund : GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया है।

CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार "पेंशन फंड" बनाने का निर्णय लिया है, जो कि वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा।

इसके लिए हम एक अधिनियम भी बनायेंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। (मेजों की थपथपाहट) पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने वाले संभवत: हम देश के प्रथम राज्य होंगे।

अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों की रायल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रायल्टी खनिजों के मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण हमारे राजस्व में भी उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसे स्थिर करने हेतु एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए Growth and Stability fund की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (Revenue and fiscal deficit) :-

अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा Revenue and fiscal deficit की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 41 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1 लाख 38 हजार 196 करोड़ अनुमानित है। अत: वर्ष 2025-26 में कुल 2804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। (मेजों की थपथपाहट)

वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22 हजार 900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण (S.C.A.) 04हजार करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18 हजार 900 करोड़ रुपए होगा, जो कि राज्य के जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) का 2.97 प्रतिशत है। यह आर.बी.आई. के एफ.आर.बी.एम. सीमा जो कि आर.बी.आई. ने निर्धारित की है कि जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के नीचे होना चाहिए, तो जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत के भीतर है।

यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एफ.आर.बी.एम. और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरश: पालन करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में हम सभी का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किन्तु श्री विष्णु देव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरे साल सरकार की आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है।

इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाली आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। (मेजों की थपथपाहट) परिवहन से आने वाली आय में 17 प्रतिशत, आबकारी की आय में 21 प्रतिशत और जी.एस.टी. से आने वाली आय में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास का नतीजा है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>कर प्रस्ताव</u> :-

अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। केन्द्र में भी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में, अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा।

वर्तमान में राज्य के अंदर 50,000 रूपये से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन के लिए जी.एस.टी. अंतर्गत <u>ई-वे बिल</u> जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने तथा EODB: Ease of Doing Business की दृष्टि से ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा कुछ अपवादिक वस्तुओं को छोड़कर 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

राज्य में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायियों पर कई वर्षों से पुराना VAT बकाया है। ऐसे व्यवसायियों के लिये <u>बकाया कर माफी</u> योजना का निर्णय भी जी.एस.टी. विभाग के अंतर्गत लिया गया है। 10 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रकरणों, जिसमें कि VAT, CST तथा प्रवेश कर 25,000 रूपये से कम देय है, उनकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) इससे शासन को देय लगभग 10 करोड़ के लगभग की राशि माफ होगी। लेकिन इससे 62 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा तथा 40,000 से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। राशि की माफी से अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्ति है। वकील लेकर ऑफिस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कम्प्लायंस बर्डन EODB (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है।

इन निर्णयों का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यवसायियों को राहत देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। प्रदेश में कर अनुपालन का सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बल्क डीजल क्रय पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में VAT को घटाकर 17

प्रतिशत किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को उसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की कम दर से छत्तीसगढ़ को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके।

इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2025 से पेट्रोल पर जो VAT लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रूपया प्रति लीटर की कमी करने का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक इंक्रीमेंटल बजट (Incremental Budget) नहीं है। 10 प्रतिशत बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं होता। यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी ASTHA का प्रतीक है, ASTHA का एक अर्थ है :-

A - Aspirational, यह बजट एस्पीरेशनल है।

S - Strategic, यह बजट स्ट्रैटीजिक है।

T - Transformational, यह बजट ट्रांसफार्मेशनल है।

H - Honest, A - Action, यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की रूपरेखा है।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। बजट का फोकस, बजट बनाते समय केवल यह नहीं था कि कैसे पैसों को विभागों के बीच एक चलते ट्रेंड को देखते हुए आपस में बांट दिया जाये, बल्कि हमारा प्रयास यह रहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रोथ की सर्वाधिक संभावना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संभावनाओं को बजट के माध्यम से बल दिया जा सकता है। उस बात को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने बजट तैयार किया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट में ज्ञान का जिक्र किया था। यदि हमें GYAN को आगे बढ़ाना है तो हमें GATI को अपनाना ही होगा। ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। मैंने GATI को एक्सप्लेन किया, जिसमें G का अर्थ है, Good Governance, A का अर्थ है, Accelerated Infrastructure, T का अर्थ है Technology और I का अर्थ है Industrial Growth।

अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है। यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिये कोशिश है, विकास के बसंत के लिए एक उद्यम है :-

अध्यक्ष महोदय, कवि ने शब्दों में कहा है,

"अंधेरों से आंख मिलाने,

चला आया है जुगनुओं को कांरवा,

हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी,
मशालें जलेंगी भी,
राहे दिखेंगी भी,
कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा
किसी का भी भविष्य,
जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी,
विकास का बसंत आयेगा,
पूरे शबाब के साथ आयेगा,
कोपले फिर से फूटेंगी,
कोयले फिर से कूकेंगी" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, आपके माध्यम से वर्ष 2025-2026 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 04 एवं 05 मार्च, 2025 की तिथियां नियत करता हूँ।

आय-व्ययक पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 को मध्याह्न 12.30 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 04 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित)

(2 बजकर 16 मिनट पर विधान सभा मंगलवार दिनांक 04 मार्च 2025) (फाल्गुन 13 शक सम्वत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 03 मार्च, 2025